

**नगर परिषद सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकक्षण एवं
निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 1/4/2013 से 31/3/2015

भाग—एक

1. प्रारम्भिक :—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद सोलन, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 तक के लेखाओं का अंकक्षण कार्य किया गया।

अंकक्षण अवधि में नियन्त्रक व आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे:—

प्रधान:—

क्रमांक	नाम	अवधि
1.	श्री कुल राकेश पंत	1.4.2013 से 31.3.2015

कार्यकारी अधिकारी:—

क्र० सं०	नाम	तैनाती की अवधि
1.	श्री बी०आर० नेगी	1.4.2013 से 20.5.2013
2.	श्री प्रशोत्तम सिंह	25.5.2013 से 3.7.2013
3.	श्री बी०आर० नेगी	2.8.2013 से 31.3.2015

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

नगर परिषद सोलन के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 तक के लेखाओं के अंकक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र० सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं०	राशि लाखों में
1.	चैक अस्वीकार होने के कारण नगर परिषद को हानि	4 (4)	17.25
2.	स्वयं संसाधनों से प्राप्त से अधिक व्यय करना	5	108.49
3.	सावधि योजना में निवेशित राशियों पर कम ब्याज की प्राप्ति	6 (2)	1.44

	से वित्तीय हानि		
4.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक सोलन में सावधि निवेश पर प्राप्त ब्याज की कम प्राप्ति	6 (3)	0.99
5.	अवधि 28.10.2014 से 16.10.2015 तक राशि ₹21,87,590.57 पर बैंक द्वारा कम ब्याज देना	6 (4)	0.95
6.	निवेशित राशियों पर अर्जित 6 (च) व (छ) ब्याज पर आयकर की कटौती करना	6 (च) व (छ)	0.87
7.	भविष्य निधि से बैंकों में निवेशित राशियों पर कम ब्याज अर्जित करने पर वित्तीय हानि	6 (फ) व (थ)	5.41
8.	दिनांक 31.3.2015 को अनुदानों की राशि व्यय हेतु शेष	7.1	543.75
9.	नगर परिषद द्वारा गृह कर अधिरोपित न करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	8	1101.15
10.	मलवहन कर (Conservancy Tax) की बकाया वसूली	9	103.66
11.	बिल्डरों द्वारा प्लैटों को बनाने/बेचने पर मलवहन/सफाई कर की वसूली न करने बारे	9(1)	171.99
12.	स्टॉलों/दुकानों के किराये की बकाया वसूली	10	77.78
13.	पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित बिलों की शेष वसूली	11	40.70
14.	नगर परिषद द्वारा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियमित तिथि पर न करने के फलस्वरूप अधिभार का अनियमित भुगतान	12	102.26
15.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों की बकाया वसूली	13	3070.57
16.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जितनी राशि की जल आपूर्ति की उससे कम राशि के बिलों को जारी करने वित्तीय हानि	14	617.65
17.	पार्किंग शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि	15	6.29
18.	विज्ञापन शुल्क की शेष वसूली	16	4.07
19.	कुत्ता कर की वसूली हेतु शेष राशि	17	1.35
20.	मोबाईल टावर की स्थापना/नवीनीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष राशि	18	0.44
21.	कामकाजी महिला आवास से बिजली प्रभार की कम वसूली	19	4.27
22.	हि0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1994 में दिए प्रावधानों के विपरीत स्थापना पर अनाधिकृत रूप से अनियमित व्यय करना	23	250.16
23.	नगर परिषद निधि से पेंशन भुगतान पर अनियमित व्यय	24	265.57
24.	घर-घर से कूड़ा एकत्रित करके डस्टबीन तक पहुंचाने के कार्य में हानि व अन्य अनियमितताएं और नियमानुसार वसूली न करने पर वित्तीय हानि	25 व 26	13.22
25.	संविदाकारों से सेल्स टैक्स की कम वसूली करना	29	6.83
26.	संविदाकारों के बिलों से आयकर की वसूली न करना	30	1.52

27.	सोलिड वेस्ट प्रोसेसिंग में तैयार खाद के मूल्य की कम वसूली करना	31	0.66
28.	दिनांक 31.3.2015 तक अग्रिमों की राशि वसूली हेतु शेष	32	12.57
29.	निर्माण कार्यों में संविदाकारों को अधिक भुगतान	33 से 40	0.67
30.	वाहन की Condemnation न करना	—	—
31.	पटवारी को मानदेय का अनियमित भुगतान	42	0.32

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री चम्बेल सिंह परमार, श्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रकों तथा श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20.11.2015 से 16.2.2016 तक नगर परिषद सोलन स्थित कार्यालय में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 3/14 तथा 8/14 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद सोलन के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत व अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार से प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

अवधि 4/13 से 3/15 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क ₹148000 आँका गया, जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से

अधियाचना संख्या 323, दिनांक 16.2.2016 द्वारा अनुरोध किया गया था। अंकेक्षण शुल्क की राशि को नगर परिषद द्वारा केनरा बैंक सोलन के बैंक ड्राफ्ट संख्या 111760, दिनांक 17.3.2016 के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

(क) नगर परिषद सोलन के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट "I" के आधार पर निम्नानुसार है।

वर्ष	आय का स्रोत	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013-14	स्वस्रोत	2185800.14	71884837.00	1711795.88	75782433.02	81108478.70	5326045.68
	अनुदान	42141748.00	59280722.00	—	101422470.00	59288609.00	42133861.00
	कुल	44,32,7548.14	131165559.00	1711795.88	177204903.02	140397087.70	36807815.32
2014-15	स्वस्रोत	(-)5326045.68	77310470.00	2095969.47	74080393.79	82709537.00	(-)8629143.21
	अनुदान	4,21,33,861.00	91435915.00	—	133569776.00	79194928.00	54374848.00
	कुल	36807815.32	168746385.00	2095969.47	207650169.79	161904465.00	45745704.79

4.1 31.3.2015 तक बैंक खातों व सावधि योजना में निवेशित राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	विवरण	खाता सं०	राशि ₹ में
1.	हस्तगत राशि	—	3,41,25.00
2.	Axis Bank	11228	151243.20
3.	Bank of Baroda	3030100002031	1356954.34
4.	Canara Bank	1189214000001	10089866.00
5.	IDBI Solan	733104000000019	5095781.10
6.	IDBI Solan	733104000009942	21016.00
7.	Indian Overseas Bank	117	12399.80
8.	SBOP Solan	55080128257	53986.91
9.	SBOP Solan	55050123350	1021363.11
10.	Jogindra Central Co-op Bank	16858	37523.00
11.	SBOP Solan	55080161476	7984.93
12.	OBC Solan (NULM)	02572010007000	125565.50
13.	UCO Bank Solan	11247	227918.03
14.	UCO Bank Solan	11246	50049.56
15.	UCO Bank Solan	11245	41163.53
16.	HDFC Bank Solan	85	162438.24
17.	Parwanoo Urban Co-op Bank Solan	3100	138305.00

18.	The Baghat Urban Co-op Bank Solan	631	153700.00
19.	The Baghat Urban Co-op Bank Solan	1908	60142.00
20.	Dena Bank	2663	230768.30
21.	IDBI Solan	16311	63925.00
22.	<u>FDR"s</u>		
(a)	State Bank of Patiala, Solan	652266092522	8069759.00
(b)	State Bank of Patiala, Solan	651264379252	155112.00
(c)	Dena Bank Solan	118261023849	5500000.00
(d)	Alahabad Bank Solan	50193699242	2125271.00
(e)	UCO Bank, Solan	6490310094754	10000000.00
(f)	HDFC Bank Solan	50300044946937	3717971.00
(g)	Punjab & Sind Bank Solan	105614000000553	2149161.00
Total			₹51161492.55

4.2 बैंक समाधान विवरणी

31.3.2015 को बैंक खातों एवं सावधि जमा में निवेशित की राशि 51161492.55

जमा:-

1. निजि दुर्घटना बीमा राशि को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली न करना 87.00
2. दिनांक 31.3.2009 को पेंशन भुगतान की राशि को रोकड़ वही के व्यय पक्ष में दर्ज न करना 175243.00
3. चैक को बैंक में जमा किया गया, परन्तु बैंक द्वारा इनको खाते में दिनांक 31.3.2015 के पश्चात जमा करना

चैक नं०	दिनांक	राशि ₹ में	
692032	28.3.2015	14270.00	
780436	27.3.2015	2700.00	
000025	30.3.2015	1320.00	
671187	31.3.2015	2590.00	
671186	31.3.2015	2590.00	
087527	30.3.2015	3475.00	
067855	30.3.2015	3774.00	
		योग ₹30719	₹30719

4. आय के चैक संख्या 373751 राशि ₹190 का बैंक द्वारा ₹110 का क्रेडिट देने के कारण कम क्रेडिट 80.00
5. आय के चैक संख्या 252137 राशि ₹285 का बैंक द्वारा ₹28000 का ही क्रेडिट देने के कारण कम क्रेडिट 5.00
6. ₹3250 का चैक संख्या 044899 जारी किया गया, परन्तु बैंक द्वारा ₹3530 का भुगतान किया गया 280.00
7. आय के चैकों के बाउंस होने के कारण बैंक द्वारा क्रेडिट न दिया जाना

चैक संख्या	दिनांक	राशि ₹ में
327110	10.6.2011	63730
0066310	17.1.2012	234000
0066593	10.3.2013	162000
0066594	12.3.2012	125000
0066595	15.3.2012	125000
0066596	15.3.2012	125000
252137	14.8.2012	4800
936748	12.8.2012	8580
692117	31.12.2012	1983
265500	16.2.2012	280
954618	25.4.2013	1408
045211	26.2.2013	1500
320411	22.7.2014	62194
175373	10.8.2014	153000
379386	25.11.2014	2315
203946	18.10.2014	20000
747536	2.2.2015	1500
678691	30.1.2015	10000
005692	26.3.2015	134250
310122	12.5.2013	5000
310123	12.5.2013	5000
042257	10.7.2013	13433
013267	15.10.2013	5000
771184	23.12.2013	5000
045929	1.10.2013	8325
296218	3.1.2014	1880
173183	28.12.2013	400000
700518	10.1.2014	20000
665585	1.3.2014	20000
425871	18.3.2014	4415

कुल योग ₹53092499.55

माईनस:-

1. बघाट को0 ओ0 बैंक खाता संख्या 631 जिसका अन्तिम शेष रोकड़ वही 2326.50
में नहीं लिया गया
2. बैंक खाते में अधिक राशि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित 2265.03
3. ठेकेदारों को देय वह राशि, जिसकी रोकड़ वही में बुकिंग 31.3.2013 से 31681.00
पूर्व की गई, किन्तु 31.3.2015 तक इस राशि का भुगतान ठेकेदारों को

नहीं किया गया, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित

4. वर्ष 2007–2009 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई बैंक खातों व 879518.73 रोकड़ वही के शेषों में भिन्नता, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित
5. जारी किए गए चैक, जिनको 31.3.2015 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत 3132358.00 नहीं किए गए

चैक सं०	दिनांक	राशि	बैंक द्वारा भुगतान करने की तिथि
022101	13.7.2011	2844	—
009954	5.12.2012	400	—
009984	29.12.2012	171	—
000032	15.7.2013	1530	—
010362	9.7.2013	2486	—
010365	9.7.2013	387	—
107981	15.7.2013	22263	—
108009	19.7.2013	1285	—
181148	3.3.2015	410	7.4.2015
181176	27.3.2015	4454	2.4.2015
181177	27.3.2015	5000	23.4.2015
181178	27.3.2015	2000	3.4.2015
181179	27.3.2015	1190	2.4.2015
857608	20.3.2015	3144	7.4.2015
857610	31.3.2015	16119	3.4.2015
857544	20.2.2015	5000	16.4.2015
913451	31.3.2015	109146	3.4.2015
913452	31.3.2015	123995	3.4.2015
913454	31.3.2015	36840	3.4.2015
913455	31.3.2015	123798	3.4.2015
913456	31.3.2015	47049	3.4.2015
913457	31.3.2015	267988	2.4.2015
913458	31.3.2015	80166	2.4.2015
913459	31.3.2015	102633	3.4.2015
913460	31.3.2015	57720	6.4.2015
913461	31.3.2015	134693	2.4.2015
913462	31.3.2015	136585	3.4.2015
913463	31.3.2015	129020	2.4.2015
913464	31.3.2015	217841	3.4.2015
913465	31.3.2015	134132	2.4.2015
913467	31.3.2015	124285	7.4.2015
913468	31.3.2015	240620	13.4.2015
913469	31.3.2015	335344	3.4.2015

913470	31.3.2015	50444	3.4.2015
913471	31.3.2015	280759	2.4.2015
913472	31.3.2015	52335	6.4.2015
913473	—	3081	3.4.2015
913474	—	234616	2.4.2015

6. वह राशि जो ठेकेदारों के बिलों से विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत काटी गई, 2153626.00 परन्तु भुगतान हेतु इस राशि का बैंक से आहरण दिनांक 31.3.2015 के पश्चात किया गया। (नोट:- इस राशि को नगर परिषद द्वारा लेखा वहियों में आय में शामिल नहीं किया)

मद/शीर्षक

प्रतिभूति	1854430
स्त्रोत पर आयकर	61764
बिक्रीकर	175668
सेस	61764

7. ठेकेदारों को देय वह राशि, जिसकी रोकड़ वही में बुकिंग 31.3.2015 से 1144168.00 पूर्व की गई, किन्तु इस तिथि तक इस राशि का भुगतान ठेकेदारों को नहीं किया गया

8. आय का ₹1560.00 का चैक संख्या 343125 का बैंक द्वारा ₹1566 का 6.00 क्रेडिट दिया गया

9. बैंक खाते में अधिक राशि/भिन्नता 845.50

नगर परिषद की लेखा वहियों/वित्तीय स्थिति के अनुसार 31.3.2015 को 45745704.79 अन्तिम शेष

अतः उपरोक्त ₹845.50 की राशि का मिलान/समाधान करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 बैंकों द्वारा आय के अस्वीकार चैकों की राशि ₹17.25 लाख की वसूली हेतु उचित कार्रवाई न करना :-

4.3.1 श्री संदीप सिंह द्वारा कार पार्किंग फीस की राशि ₹834730 को निम्न चैकों द्वारा नगर परिषद में जमा किया गया। इन चैकों को बैंक द्वारा बाउंस कर नगर परिषद को वापिस किया गया, परन्तु इन अस्वीकार चैकों की राशि को पार्किंग फीस के खाते में बकाया नहीं दर्शाया गया था। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इन चैकों की राशि की वसूली हेतु माननीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। फिर भी राशि को पार्किंग फीस अभिलेख में वसूली हेतु दर्ज किया जाए।

चैक संख्या	दिनांक	राशि ₹ में
327110	10.6.2011	63730

0063310	17.1.2012	234000
0066593	10.3.2012	162000
0066594	12.3.2012	125000
0066595	13.3.2012	125000
0066596	19.3.2012	125000

योग ₹834730

4.3.2 सफाई चार्जिज राशि ₹0.29 लाख के चैकों को बैंक द्वारा (आय) वापिस करने के कारण सम्बन्धित अभिलेख में पुनः मांग दर्ज न करना :-

निम्न चैकों द्वारा पालिका खाते में उपयोगताओं द्वारा सफाई चार्जिज की देय राशि ₹29253 का भुगतान किया गया, लेकिन इन चैकों को बैंक द्वारा अस्वीकार करने कारण परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस प्रकरण में उचित व अपेक्षित कार्रवाई करते हुए अपेक्षित अभिलेख में राशि की पुनः मांग दर्शाकर वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

चैक संख्या	दिनांक	राशि ₹ में
379386	25.11.2014	2315
936748	12.8.2012	8580
252137	14.8.2012	4800
936748	12.8.2012	1983
296218	2.1.2014	1880
425871	18.3.2014	4415
013267	29.11.2013	5000
265500	16.2.2012	280

4.3.3 राशि ₹8325 का चैक संख्या 045929 दिनांक 1.10.2013 को नगर परिषद द्वारा ????????? के रूप में प्राप्त किया गया, जब इस चैक को खाते जमा करने के लिए भेजा तो इस चैक को अस्वीकार/वाउंस कर वापिस लौटा दिया। नगर परिषद द्वारा इस चैक की राशि ₹6325 में से केवल 8000 को रसीद संख्या 396/38 दिनांक 3.2.2014 द्वारा प्राप्त किया गया। अतः बकाया राशि ₹325 को सम्बन्धित खाते में नहीं बढ़ाया और न ही चैक संख्या 045929 दिनांक 1.10.2013 की प्रविष्टि सम्बन्धित खातों में नहीं की गई, जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

4.3.4 चैक संख्या 692117 दिनांक 31.12.2012 राशि ₹1983 का प्राप्त हुआ और यह चैक बैंक द्वारा अस्वीकार/वाउंस कर दिया। अभिलेखों की जांच पर पाया कि इस वाउंस चैक के स्थान पर उपयोक्ता ने दिनांक 4.3.2012 को रसीद संख्या 457/88 द्वारा नगद राशि जमा करवा दी

पर नगर परिषद द्वारा अपनी रोकड़ में इस चैक की Reverse Entry नहीं की, जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

4.3.5 जल प्रभार (आय) की राशि ₹0.66 लाख के चैकों को बैंक द्वारा वापिस करने के कारण सम्बन्धित अभिलेख में पुनः मांग दर्ज न करना :-

निम्न चैकों द्वारा परिषद के खाते में उपयोगताओं द्वारा जल प्रभार की देय राशियों ₹66433 का भुगतान किया गया। इन चैकों को बैंक द्वारा स्वीकार न करने के कारण सम्बन्धित उपयोगताओं के खाते में प्रभार की राशि को पुनः मांग दर्शाई जानी व रोकड़ वही में अपेक्षित कार्रवाई की जानी थी, लेकिन परिषद द्वारा न तो उपयोगताओं के खातों में जल प्रभार की राशि की पुनः मांग दर्ज की और न ही बैंक द्वारा वापिस चैकों पर अपेक्षित कार्रवाई की गई। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

चैक संख्या	दिनांक	राशि ₹ में
045211	26.2.2013	1500
747536	2.2.2016	1500
678691	30.1.2015	10000
042557	10.7.2013	13433
665585	1.3.2014	20000
700518	10.1.2014	20000

4.3.6 कार पार्किंग फीस में प्राप्त चैकों की राशि ₹534250 के बारे :-

नगर परिषद को निम्नलिखित चैकों द्वारा कार पार्किंग फीस प्राप्त हुई।

चैक संख्या	दिनांक	फर्म/व्यक्ति का नाम	राशि
005692	26.3.2015	Sh. Karanjit Singh	134250
173186	28.12.2013	Sh. Gaurav	400000
योग			₹534250

उक्त दोनों वर्णित चैकों को बैंक द्वारा अस्वीकार/वाउंस कर वापिस लौटाया गया। इनमें से चैक संख्या 805692 दिनांक 26.3.2015 राशि ₹134250 जोकि श्री करणजीत सिंह से प्राप्त हुआ तथा वाउंस होने पर इसकी वसूली निर्माण कार्य बिल से की गई दर्शाई गई, परन्तु राशि की वसूली किस निर्माण कार्य बिल से की गई से सम्बन्धित लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सम्बन्धित अभिलेख पुष्टि हेतु प्रस्तुत करें अन्यथा इस राशि की वसूली शीघ्र कर नगर परिषद निधि में जमा करें और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

श्री गौरव से पार्किंग शुल्क में चैक संख्या 173186 दिनांक 28.12.2013 को प्राप्त राशि ₹400000 बैंक द्वारा अस्वीकार/वाउंस कर दिया, जिसकी वसूली नगर परिषद द्वारा श्री गौरव से नहीं हुई। अतः नगर परिषद ने राशि ₹400000 की वसूली के लिए माननीय न्यायालय में केस दायर किया, जोकि अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है। अतः न्यायालय के निर्णय से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3.7 चैक संख्या 771189 दिनांक 23.12.2013 राशि ₹5000

उक्त चैक श्री वजिन्द्र ठाकुर अध्यक्ष सिरमौर स्टूडेंट एसोसिएशन से रेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त हुआ था तथा यह चैक बैंक द्वारा वाउंस कर दिया, जिसके फलस्वरूप यह प्रतिभूति राशि ₹5000 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली जानी थी, जोकि नगर परिषद द्वारा पुनः से वसूल नहीं की, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

4.3.8 चैक संख्या 310122 तथा 310123 दिनांक 12.5.2013 राशि ₹5000 प्रति

यह चैक श्री उदेय से रेस्ट हाउस हॉल की बुकिंग के लिए ₹5000 किराये तथा ₹5000 प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त हुए। यह दोनों चैक बैंक द्वारा अस्वीकार/वाउंस हो गए, जिसके कारण चैक वापिस नगर परिषद को भेजा गया, परन्तु इन राशियों की वसूली पुनः से नहीं हो सकी, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को वित्तीय नुकसान हुआ, जिसकी वसूली शीघ्र कर नगर परिषद कोष में जमा की जाए और अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

4.3.9 चैक संख्या 520411 दिनांक 22.7.2014 राशि ₹62194

यह चैक M.E.S से रसीद संख्या 834/54 द्वारा प्राप्त हुआ था और बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार यह चैक अस्वीकार/वाउंस दर्शाया गया है। नगर परिषद लेखा परीक्षा को यह स्पष्ट नहीं कर सका कि इस राशि की पुनः वसूली कर ली गई या नहीं? क्योंकि मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में इसकी जांच को नहीं दर्शाया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और इस राशि की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

5. (क) अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वयं स्रोतों से प्राप्त आय से ₹124.37 लाख का अधिक व्यय करना :-

नगर परिषद सोलन के वर्ष 2013-14 व 2014-15 के लेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि स्वयं संसाधनों से कुल प्राप्त आय व अन्तशेष की राशि ₹1513.81 लाख के विरुद्ध

₹1638.18 लाख का व्यय किया गया, जोकि कुल प्राप्ति से ₹124.37 लाख अधिक था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

वित्त वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान स्वयं संसाधनों से प्राप्ति ₹	वर्ष के दौरान स्वयं संसाधनों पर व्यय ₹	प्राप्ति से अधिक व्यय ₹
2013-14	2185800	171884837	81108478.70	7037841.70
		77310470	8270537.00	5399067
		151381107	163818015.70	12436908.70
कुल राशि				₹74070637

स्वयं संसाधनों से उपलब्ध राशि से अधिक व्यय करने का मामला अंकेक्षण अध्याचना संख्या 299 दिनांक 23.12.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन के ध्यान में लाया गया था, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः स्वयं संसाधनों से वास्तविक प्राप्ति से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदानों की प्राप्त राशियों से ₹86.29 लाख का अनियमित व्यय करना

उपरोक्त पैरे में दिए गए विवरणानुसार ₹10814943.35 का व्यय स्वयं संसाधनों पर वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान प्राप्ति से अधिक व्यय किया गया था। स्वयं संसाधनों पर वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान प्राप्ति से अधिक किए गए व्यय को निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्रोतों से किया गया था।

क्रमांक	प्राप्ति से अधिक व्यय का स्रोत	स्वयं संसाधनों पर प्राप्ति से अधिक व्यय ₹
1.	पूर्व वर्षों की स्वयं संसाधनों की शेष राशि	2185800.14
2.	सरकारी अनुदान की प्राप्त राशि	8629143.21
कुल राशि		₹10814943.35

उपरोक्त विवरणानुसार सरकारी अनुदानों की प्राप्त राशियों से स्वयं संसाधनों पर व्यय किया गया था। सरकारी अनुदानों की प्राप्त राशियों से अनुचित रूप से स्वयं संसाधनों पर किए गए व्यय बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा स्वयं संसाधनों पर सरकारी प्राप्तियों से किए गए व्यय ₹8629143.00 की शीघ्र प्रतिपूर्ति करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में सरकारी अनुदानों की प्राप्त राशियों से नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. सावधि निवेश :-

नगर परिषद सोलन द्वारा निधि को वर्ष 2013-14 व 2014-15 में विभिन्न बैंकों में सावधि योजना के अन्तर्गत निवेश किया, जिसका विवरण परिशिष्ट "2(i)" पर संलग्न है। इन राशियों को परिपक्व तिथि पर परिपक्व किया जाना सुनिश्चित किया जाए और सम्बन्धित बैंक खातों में जमा किया जाए तथा अनुलपाना से आगामी अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.1 उक्त के साथ-साथ नगर परिषद सोलन ने भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि (CPF) से वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में विभिन्न-विभिन्न बैंकों में सावधि योजना के अन्तर्गत राशियों का निवेश किया था, जिसका विवरण परिशिष्ट "2(क)" व "2(ख)" में संलग्न है। अतः भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि से निवेशित राशियों को परिपक्व तिथि से परिपक्व कर उन राशियों को पुनः निवेशित करें या इन राशियों को ब्याज सहित सम्बन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों पर बैंक द्वारा ब्याज की राशि ₹1.44 लाख को कम क्रेडिट करना :-

नगर परिषद के निवेश रजिस्टर के अनुसार अंकक्षण अवधि के दौरान किए गए सावधि जमा निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त होने वाले ब्याज की पड़ताल पर पाया गया कि बैंकों द्वारा इन निवेशों पर ब्याज कम दिया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को राशि ₹144337.64 की वित्तीय हानि हुई। अतः यह मामला सम्बन्धित बैंकों से उठाकर अपेक्षित ब्याज की राशि की वसूली की जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 नगर परिषद द्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक सोलन में सावधि में निवेश राशियों में प्राप्त ब्याज की कम प्राप्ति के फलस्वरूप राशि ₹99153.00 की हानि

नगर परिषद सोलन द्वारा सावधि में निवेश की राशियों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि नगर परिषद ने निधि में से पंजाब एण्ड सिंध बैंक सोलन में 93 दिनों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज की दर से दिनांक 13.5.2013 को राशि ₹20,00,000 सावधि में निवेश किए तथा समय-समय पर इस राशि को ब्याज सहित पुनः निवेश किया गया था, जिसका विवरण अभिलेख के अनुसार साथ विवरणिका में संलग्न है। इस निवेश की राशि से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर निम्नलिखित कमियां पाई गईं।

दिनांक 14.8.2013 को नगर परिषद द्वारा राशि ₹20,00,000 + अर्जित ब्याज को मिलाकर राशि ₹20,37,911 को पुनः से 441 दिनों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज की दर से सावधि में निवेश

किया, जिसकी परिपक्व राशि ₹21,49,161 बनाई गई और इस परिपक्व राशि में बैंक द्वारा ₹21,05,730.00 को दिनांक 28.7.2014 को 7 प्रतिशत ब्याज की दर से तीन महिनों के लिए पुनः निवेश कर दिया, परन्तु इसमें से बकाया ब्याज की राशि ₹43,431 को बैंक द्वारा न तो नगर परिषद के खाते में जमा किया और न ही इसे पुनः निवेश राशि में सम्मिलित किया, परन्तु दिनांक 17.10.2015 को नगर परिषद द्वारा पुनः निवेश की राशि में राशि ₹43,431 को बैंक द्वारा जोड़ कर राशि ₹22,30,621.00 को 181 दिनों के लिए सावधि योजना में निवेश किया। अतः इस प्रकार नगर परिषद को बैंक द्वारा 28.7.2014 से 16.10.2015 तक राशि ₹43,431 को बैंक द्वारा पुनः निवेशित राशि में न लेने के फलस्वरूप राशि ₹3966 के लगभग वित्तीय नुकसान हुआ, जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और राशि ₹3766 का जो वित्तीय हानि हुई उसकी भरपाई बैंक से करके नगर परिषद निधि में जमा किए जाएं और अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए। विवरण निम्न प्रकार से है।

राशि	ब्याज की दर	अवधि	कुल दिन	ब्याज की राशि
43431	7%	28.7.2014 से 17.10.2015	446	3766

6.4 अवधि 28.10.2014 से 16.10.2015 तक राशि ₹21,87,590=57 पर केवल ₹43030 का ब्याज देने पर राशि ₹95386=97 की वित्तीय हानि:-

अभिलेख के अनुसार और साथ में संलग्न विवरणिका के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक सोलन ने दिनांक 17.10.2015 को राशि ₹22,30,621 की एफडीआर 181 दिनों के लिए, जिसकी परिपक्व तिथि 15.4.2016 है में राशि ₹21,44,159.57 + ₹43431 तथा दिनांक 29.10.2014 से 16.10.2015 तक बैंक के पास पड़ी राशि (₹21,44,159.57+43431) ₹21,87,590=57 पर ₹43030.43 ब्याज सहित बना कर दे दी। जबकि बैंक के पास पड़ी राशि ₹21,44,159.57 पर 7 प्रतिशत की दर से अवधि 29.10.2014 से 16.10.2015 का ब्याज दिया जाना, जोकि राशि ₹138417.40 बनता है, जबकि बैंक द्वारा केवल ब्याज ₹43030.43 पै0 ही अवधि 29.10.2014 से 16.10.2015 तक कर दिया। अतः इस प्रकार ₹95386.97 पै0 ब्याज के रूप में नगर परिषद को अवधि 29.10.2014 से 16.10.2015 तक कम दिए गए, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को राशि ₹95386.97 पै0 की वित्तीय हानि हुई प्रतीत होती है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 294, दिनांक 19.12.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु नगर परिषद प्रशासन से अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण के समापन तक इस अधियाचना का कोई जवाब अंकेक्षण को नहीं दिया गया। अतः इस पैरे में दिए गए कम ब्याज की राशि ₹95386.97

पै0 बारे मामला सम्बन्धित बैंक से शीघ्र उठाकर इस ब्याज राशि की वसूली की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.5 पंजाब एण्ड सिंध बैंक सोलन में निवेश की राशि ₹20,00,000 पर अर्जित ब्याज में राशि ₹26850.43 ब्याज के रूप में कम प्राप्त करने बारे :-

नगर परिषद द्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक, सोलन में दिनांक 13.5.2013 को 93 दिनांके लिए 7.50 प्रतिशत की दर से राशि ₹20,00,000 का निवेश सावधि योजना में किया और दिनांक 28.10.2014 तक इस राशि को ब्याज सहित पुनः निवेश किया गया था, जिसका विवरण साथ संलग्न है। अभिलेखों एवं अभिलेख के आधार पर बनाई विवरणिका के अनुसार नगर परिषद द्वारा निवेश की राशि ₹20,00,000 पर दिनांक 28.10.2014 तक अर्जित ब्याज में राशि ₹26,850.43 पै0 कम प्राप्त कए गए प्रतीत होते हैं। यह ब्याज की राशि बैंक द्वारा किस आधार पर दी उसका ब्यौरा साथ संलग्न नहीं था। अतः नगर परिषद इस मामले को सम्बन्धित बैंक के साथ उठाकर इस कम प्राप्त अर्जित ब्याज राशि ₹26850.43 की वसूली/भरपाई कर नगर परिषद निधि में जमा की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.6 भविष्य निधि से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सोलन में सावधि योजना में निवेश राशि ₹1482195 पर अर्जित ब्याज की राशि ₹19198 की कम प्राप्ति :- (FDR No. 65185342508) :-

नगर परिषद सोलन द्वारा सामान्य भविष्य निधि खाते से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सोलन में राशि ₹14,82,195 को दिनांक 23.12.2013 से 24.12.2014 एक वर्ष के लिए 9 प्रतिशत ब्याज की दर से सावधि जमा योजना में निवेश किया गया। सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस एफडीआर को समय अवधि से पूर्व दिनांक 1.8.2014 को भुनवाकर प्राप्त राशि को खाता संख्या 55080127661 में जमा किया गया। पूर्व परिपक्व पर बैंक द्वारा राशि ₹63064 का ब्याज दिया गया, जबकि 9 प्रतिशत की दर से दिनांक 23.12.2013 से 1.8.2014 तक ब्याज की राशि ₹82,262 बनती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

निवेश की राशि	ब्याज दर	अवधि	निवेश की राशि पर जो ब्याज बनता है	जितना ब्याज बैंक ने दिया	जितना कम ब्याज दिया
14,82,195	9%	23.12.2013 से 1.8.2014 222 दिन	$\frac{409}{400} \times 1482195 = 1515544.38$	63064	19198

अतः इस प्रकार बैंक द्वारा उक्त सावधि निवेश पर राशि ₹19198 का कम ब्याज दिया गया, जिसकी वसूली हेतु मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए और इस राशि की वसूली कर भविष्य निधि खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.7 भविष्य निधि से यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सोलन में सावधि जमा में निवेशित राशि ₹135163 पर दिनांक 4.4.2011 से 4.3.2015 तक अर्जित ब्याज का कम क्रेडिट देने पर ₹0.10 लाख के ब्याज की हानि :-

नगर परिषद सोलन द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में राशि ₹1,26,448 को दिनांक 29.1.2010 को 6 प्रतिशत की दर से 12 मास के लिए सावधि योजना में निवेश किया। परिपक्वता की तिथि पर इस राशि को पुनः निवेशित किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

FDR No.	राशि	ब्याज दर	निवेश करने की तिथि	परिपक्वता की तिथि	परिपक्व राशि	टिप्पणी
4183838	1,26,448	6%	29.1.10	29.1.10	134207.00	पुनः निवेश की
303242975	1,35,163	8.60%	4.4.11	4.3.13	159046.00	इसमें से राशि ₹154034 को पुनः निवेश किया
303242975	1,54,034	9.00%	4.3.13	4.3.14	168372.00	इसमें से राशि ₹166310 को पुनः निवेश किया
303242975	1,66,310	9.00%	4.3.14	4.3.15	180845.00	इसमें से राशि ₹177703 को पुनः निवेश किया
362003030242.975	1,77,703	8.50%	4.3.15	4.3.16	193391	—

उक्त विवरण के अनुसार दिनांक 4.3.2013, 4.3.2014 व 4.3.2015 को परिपक्वता राशि से क्रमशः से ₹5012, ₹2062 तथा ₹3142 कम निवेश किए गए। इन राशियों की कटौती के कारणों बारे अभिलेखों में कोई भी विवरण नहीं दिया गया था, जिसके फलस्वरूप इस सावधि जमा निवेश की परिपक्वता राशि को बैंक द्वारा कम क्रेडिट करने के कारण ₹10216 के ब्याज की राशि की हानि हुई। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और राशि ₹10216 की वसूली हेतु मामला बैंक से उठाकर इसकी भरपाई कर नगर परिषद के सम्बन्धित शीर्ष की आय में जमा की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.8 भविष्य निधि एस सीपीएफ से सम्बन्धित राशियों के सावधि जमा में किए गए निवेशों के कुप्रबन्धन के कारण नगर परिषद को लगभग ₹379604.80 की हानि :-

नगर परिषद द्वारा सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी भविष्य निधि से सम्बन्धित राशियों के सावधि जमा में किए गए निवेशों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सावधि जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त न करके प्रत्येक तिमाही बार ब्याज प्राप्त करके सम्बन्धित खातों में जमा किया जा रहा है। चूंकि बचत खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज की प्रतिशतता सावधि जमा पर प्राप्त होने वाले ब्याज से बहुत कम होती है। अतः नगर परिषद को सावधि जमा से प्राप्त होने वाले ब्याज को पुनः सावधि जमा में निवेश न करने से प्राप्त होने वाले ब्याज की वित्तीय हानि सहन करनी पड़ रही है। जैसा कि निम्न प्रकरणों से स्पष्ट होता है:-

क्र० सं०	सावधि जमा का नाम	सावधि निवेश राशि	में ₹ में	ब्याज दर	निवेश की तिथि तथा परिपक्वता तिथि	तिमाही अर्जित ब्याज जो खाते में जमा किया	निवेश तक कुल अर्जित ब्याज	कम ब्याज	अर्जित
1.	एसबीआई 3195602855	सोलन	25,64,244	8.5%	3.10.12 से 11.4.14 555 Days	3,09,264	336022.80	26758.80	
2.	—यथोपरि—		25,64,244	9.0%	16.4.14 से 18.10.15 555 Days	3,32,124	355789.00	23665.00	
3.	एसबीआई 81696168891	सोलन	10,00,000	8.50%	8.10.12 से 16.4.14 555 Days	119635	1,31,042	11407.00	
4.	—यथोपरि—		10,00,00	9.0%	16.4.14 से 23.10.15 555 Days	1,29,397	1,38750	9353.00	
5.	स्टैट बैंक ऑफ पटियाला 65112931666	सोलन	119164	9.75%	29.3.11 से 22.12.13 999 Days	31719	36505	4786.00	
6.	स्टैट बैंक ऑफ पटियाला 65185342508	सोलन	1482195	9.75%	30.3.11 से 23.12.13 999 Days	3,94,482	453656	59174.00	
7.	स्टैट बैंक ऑफ पटियाला 65112931962	सोलन	5,49,957	9.75%	29.3.11 से 22.12.13 999 Days	146366	1,68,325	21959.00	
8.	स्टैट बैंक ऑफ पटियाला	सोलन	988130	9.75%	30.3.11 से 23.12.13	265965	3,02,437	36472.00	

	65112931292			555 Days			
9.	स्टैट बैंक ऑफ पटियाला सोलन	988130	9.0%	23.12.13 से 1.8.14	42043	55458	13415.00
	65185335512			222 Days			
10.	स्टैट बैंक ऑफ पटियाला सोलन	1121083	9.75%	29.3.11 से 22.12.13	2,98,365	3,43,120.00	44755.00
	65112932241			999 Days			
11.	—यथोपरि—	1121083	9.0%	22.12.13 से 21.12.14	1,02,669	1,04,354	1685.00
				365 Days			
12.	स्टैट बैंक ऑफ पटियाला सोलन	35,00,000	9.0%	29.8.12 से 29.8.15	9,45,000	1071175.00	1,26,175.00
	65148209911			3 Years			
13.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 3 / 2308	10,00,000	8.75%	1.5.12 से 30.4.13	87,500	90413	2913.00
	—यथोपरि—	10,00,000	8.75%	1 Years 1.5.12 से 30.4.13	87,500	90413	2913.00
	—यथोपरि—	10,00,000	9.10%	1 Years 1.5.12 से 30.4.13	91,000	94152	3152.00
14.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 3 / 2309	10,00,000	8.75%	1 Years 1.5.12 से 1.5.13	87,500	90413	2913.00
	—यथोपरि—	10,00,000	8.75%	1 Years 1.5.13 से 1.5.14	87,500	90413	2913.00
	—यथोपरि—	10,00,000	9.10%	1 Years 1.5.14 से 1.5.15	91,000	94152	3152.00
15.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 3 / 3569	15,00,000	9.0%	1 Years 29.8.12 से 29.8.15	3,99,448	4,590,75	59,627.00
16.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 3 / 3567	15,00,000	9.0%	36 Month 29.8.12 से 29.8.15	3,99,448	4,590,75	59,627.00
17.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 3 / 3984	5,00,000	8.75%	36 Month 10.5.13 से 10.5.14 1 Years	43752	45,207	1455.00

	—यथोपरि—	5,00,000	9.50%	10.5.14 से 10.5.15 1 Years	42,688 <u>TDS 2563</u> 4225100	46,809	1558.00
18.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 3 / 3985	8,00,000	8.75%	10.5.13 से 10.5.14 1 Years	70,000	72,331	2331.00
	—यथोपरि—	8,00,000	9.50%	10.5.14 से 10.5.15 1 Years	69,238	74,894	5656.00
19.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 30030300004485	10,00,000	9.50%	4.1.14 से 4.1.15 1 Years	90,500	93,618	3118.00
20.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 30030300004486	10,00,000	9.05%	4.1.14 से 4.1.15 1 Years	90,500	93,618	3118.00
21.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 30030300004797	10,00,000	9.05%	17.6.14 से 17.6.15 1 Years	90,500	93,618	3118.00
22.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 30030300004798	10,00,000	9.05%	17.6.14 से 17.6.15 1 Years	90501	93618	3117.00
23.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 30030300004985	10,00,000	9.05%	4.1.14 से 4.1.15 1 Years	90500	93618	3118.00
	—यथोपरि—	10,00,000	8.75%	4.1.14 से 4.1.16 1 Years	87,500	90413	2913.00
24.	बैंक ऑफ बडौदा, सोलन 30030300004486	10,00,000	9.05%	4.1.14 से 4.1.15 1 Years	90,500	93618	3118.00
	—यथोपरि—	10,00,000	8.75%	4.1.14 से 4.1.16 1 Years	87,500	90413	2913.00

₹5,52,346.80

अतः अवधि 3 / 2015 तक भविष्य निधि खातों से सावधि योजना के तहत विभिन्न बैंकों में निवेश राशिया पर ₹5,52,346.80 पै0 की ब्याज के कम प्राप्ति पर वित्तीय नुकसान हुआ प्रतीत होता है, जिसकी भरपाई के लिए सम्बन्धित बैंकों से मामला उठाया जाए और भविष्य में सावधि योजना में निवेश की जानी वाली राशियों को उचित प्रबन्ध को मध्यनजर रखते हुए किया जाए,

ताकि ब्याज के रूप में अधिक से अधिक राशि प्राप्त की जा सके और नगर परिषद को वित्तीय हानि न हो। अतः नगर परिषद इन मामलों में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.9 भविष्य निधि से सावधि जमा में निवेश राशियों पर ₹0.99 लाख के ब्याज की कम वसूली :-

नगर परिषद सोलन द्वारा भविष्य निधि से विभिन्न-विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों की जांच के दौरान पाया गया कि बैंकों द्वारा इन निवेशित राशियों पर वास्तविक ब्याज की राशि से कम राशि का क्रेडिट किया गया प्रतीत होता है, जिसका पूर्ण विवरण निम्न है। अतः नगर परिषद विवरण में दिए सावधि योजना में निवेशित राशियों पर दिए गए कम ब्याज राशि ₹99066 हेतु मामला सम्बन्धित बैंकों से उठाए और इसकी भरपाई करके सम्बन्धित निधि में जमा करें तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. सरकारी अनुदान :-

नगर परिषद सोलन द्वारा अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय तथा 31.3.2015 को पाए गए अन्तःशेष का विवरण परिशिष्ट "3(1) व 3(2)" पर दिया गया है।

वर्ष 2013-14 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष राशि ₹42141748 में से ₹14292887 वर्ष 2013-14 व ₹5677643 वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय की गई थी तथा इस राशि में से ₹22,171,218 दिनांक 31.3.2015 को अनुपयुक्त थी। अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार यह राशियां आमतौर पर एक या दो वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयुक्त इन अनुदान राशियों को या तो उन्हीं स्रोतों को जहां से प्राप्त हुई है लौटाया जाना अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.1 दिनांक 31.3.2015 तक अनुदानों की राशि ₹543.75 लाख व्यय हेतु शेष :-

अंकेक्षणाधीन अवधि वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान विभिन्न स्रोतों से ₹15,07,16,637 अनुदान के रूप में प्राप्त हुई, जिसमें से अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान ₹118513007 व्यय किया गया। अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान पूर्व वर्षों की शेष अनुदान राशि से ₹1,99,70,530 व अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशि से ₹118513007 कुल व्यय

₹13,84,83,537 किया गया तथा 31.3.2015 को पूर्व अवधि की अनुपयुक्त राशि ₹2,21,712,18 व अंकेक्षणाधीन अवधि की अनुपयुक्त राशि ₹3,22,03,630 कुल अनुपयुक्त राशि ₹5,43,74,848 शेष थी। अतः अनुदान राशि सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपयुक्त राशि को सक्षम अधिकारी से व्यय हेतु अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित करें, जिन उद्देश्यों हेतु राशि स्वीकृत की गई थी। अन्यथा व्यय हेतु शेष राशि को सम्बन्धित संस्था को वापिस किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर परिषद को राशि ₹110115923 की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-एलएसजीडी(1)/9194, दिनांक 28.8.1997 की अनुसूचि क्रमांक-2 द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र सोलन में दिनांक 1.9.1997 से 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर पर गृहकर अधिरोपित करने, निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या-यूएलवीएच(सी) (9)(2)/1991-11, दिनांक 20.4.1998 तथा यूएलवी-एच(सी)(9)-(1), दिनांक 6.11.1999 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा-271 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए गृहकर की वसूली का परामर्श देने तथा इसके पश्चात भी निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या-यूजीएच(सी)(10)-10/1997, दिनांक 4.12.1999 द्वारा प्रदेश की समस्त नगर परिषदों/नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों व उनके कार्यान्वयन की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए गृहकर की वसूली सुनिश्चित करने हेतु कहे जाने के बावजूद भी नगर परिषद अधिसूचना क्षेत्र में गृहकर अधिरोपित नहीं किया गया।

अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण अंकेक्षण अवधि 4/2002 से 3/2007 के पैरा संख्या 4(घ) अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2009 के पैरा संख्या 4(ख), अंकेक्षण अवधि 4/2009 से 3/2011 के पैरा संख्या 6(क) तथा अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 के पैरा संख्या (10) द्वारा भी प्रकाश में लाया गया था, परन्तु इस मामले पर कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जिससे इस मामले के प्रति नगर परिषद की उदासीनता परिलक्षित होती है। अवधि 3/2013 तक गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर परिषद को लगभग ₹88054407 की वित्तीय हानि का आंकलन किया गया था, जबकि अवधि 3/2015 तक बढ़कर ₹110115923 आंका गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। नगर परिषदों की आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा बार-बार इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करने उपरान्त भी परिषद परिक्षेत्र में गृहकर अधिरोपित न करने बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए। गृहकर की वसूली नियमानुसार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित किया जाए।

9. दिनांक 31.3.2015 तक मलवहन कर की (Conservancy Tax) ₹103.37 लाख की वसूली शेष :-

नगर परिषद द्वारा परिषद क्षेत्र में 5% (वार्षिक) दर से भवनों की शैटल वैल्यू पर मलवहन कर आरोपित किया गया है। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत अभिलेख व सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक मलवहन कर की राशि ₹10336607 वसूली योग्य शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण "परिशिष्ट "4(1)" पर संलग्न है। अतः बकाया राशि की वसूली किए जाने हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.1 परिषद क्षेत्र में बिल्डरों द्वारा निर्मित फ्लैटों को बेचने पर मलवहन/सफाई कर ₹171.99 लाख की मांग/वसूली न करने बारे :-

जांच के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा परिषद क्षेत्र में बिल्डरों द्वारा निर्मित फ्लैटों को बेचने पर मलवहन कर/सफाई कर की मांग व वसूली नहीं की गई। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचना "परिशिष्ट "4(2)" के अनुसार चार मुख्या बिल्डरों ने अवधि 3/2015 तक 673 फ्लैट्स बनाए और बेचे गए, जिसमें से 457 फ्लैट्स मालिकों से लगभग ₹17198880 की राशि का मलवहन कर नहीं वसूला गया और शेष 216 फ्लैट्स का न तो मलवहन कर की गणना की गई और न ही वसूली की गई।

अतः मलवहन कर की शीघ्र वसूली किए जाने बारे ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा की गई अनुपालना को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 मलवहन कर के गलत निर्धारण के कारण ₹0.26 लाख के राजस्व की हानि :-

परिषद क्षेत्र में मलवहन कर निर्धारण भवन की वार्षिक रैण्टल वैल्यू या सेल डीड/भवन मालिक द्वारा घोषित भवन निर्माण की कीमत जो भी अधिक हो के 10% भाग पर 10% छूट देने के उपरान्त शेष राशि पर 5 प्रतिशत (वार्षिक) दर से किया जाता है। मलवहन कर निर्धारण के कुछ प्रकरणों की पड़ताल में पाया गया कि कर का निर्धारण गलत रूप से करने के कारण परिषद को ₹25896 प्रतिवर्ष की हानि उठानी पड़ी, जिसका विस्तृत "परिशिष्ट "4(3)" पर संलग्न है। इन प्रकरणों में आगामी उचित कार्यवाही अमल में लाते हुए कर निर्धारण व वसूली नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. स्टालों/दुकानों के किराये की राशि ₹77.78 लाख की वसूली शेष :-

नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यवसायियों/कारोबारियों को आवंटित स्टालों/दुकानों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं की गई थी, जिसके कारण दिनांक 31.3.2015 को ₹7777858 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण "परिशिष्ट "5" पर संलग्न है। नगर परिषद द्वारा मासिक किराये की राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।

11. दिनांक 31.3.2015 पानी के बिलों की राशि ₹40.70 लाख की वसूली शेष :-

वित्त वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 के दौरान पीने के पानी की आपूर्ति से प्राप्त आय की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद को पानी के उपभोक्ताओं द्वारा बिलों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया था का "परिशिष्ट "6" पर संलग्न विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 31.3.2015 तक विभिन्न उपभोक्ताओं से ₹4069946 वसूली हेतु शेष थी तथा नगर परिषद द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई प्रतीत होती है, जिस कारण नगर परिषद द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों की बकाया देय राशि में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। इसके अतिरिक्त बकाया राशि पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को 10 प्रतिशत (वार्षिक) की दर से अधिभार (Surcharge) का भी भुगतान अलग से करना पड़ रहा है। अतः पानी के बिलों की राशि की वसूली नियमित रूप से प्राप्त नहीं किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. नगर परिषद द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियत तिथि के बाद करने के कारण अधिभार राशि ₹102.26 लाख का अनियमित भुगतान :-

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि नगर परिषद को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सोलन द्वारा अश्वनी खड्ड व गिरी नदी परियोजनाओं से जल आपूर्ति की जाती है। जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख व उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया गया था, जिसके कारण नगर परिषद को वर्ष 2013-2014 व

2014-15 के दौरान निम्न विवरणानुसार अधिभार (Surcharge) की राशि ₹10226440 का भुगतान किया गया।

क्र० सं०	वर्ष	जल आपूर्ति योजना का नाम	अधिभार (Surcharge) की राशि
1.	2013-2014	अश्वनी खड्ड जल आपूर्ति योजना	1870216
2.	2014-2015	अश्वनी खड्ड जल आपूर्ति योजना	1863186
3.	2013-2014	गिरी नदी जल आपूर्ति योजना	2677526
4.	2014-2015	गिरी नदी जल आपूर्ति योजना	3815512
कुल योग			₹10226440

अतः सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों को समय पर भुगतान न करने के कारण अधिभार राशि ₹10226440 के भुगतान के फलस्वरूप नगर परिषद को हुई हानि बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा राशि की वसूली दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से सुनिश्चित करते हुए यह प्रकरण निदेशक स्थानीय निकाय हि०प्र० के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाए।

13. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को ₹3070.57 लाख का भुगतान शेष :-

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना "परिशिष्ट 7" पर संलग्न के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को ₹307057220 की राशि का भुगतान करना शेष था। अतः बकाया राशि का शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी प्रकार के अधिभार के रूप में नगर परिषद को हानि न उठानी पड़े तथा की गई कार्यवाही को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. परिषद द्वारा जल आपूर्ति करने पर ₹617.65 लाख की हानि :-

नगर परिषद द्वारा परिषद क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है, जबकि नगर परिषद को पानी की आपूर्ति सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सोलन द्वारा की जाती है व समय-समय पर निर्धारित दरों पर जल प्रभार के बिल नगर परिषद को भुगतान हेतु प्रेषित किए जाते हैं।

अंकेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर परिषद को दिनांक 31.3.2015 तक राशि ₹102264404 के जल प्रभार बिल जारी किए गए व नगर परिषद द्वारा उपभोक्ताओं को ₹40498948 के बिल जारी किए गए, जिसके कारण नगर परिषद को ₹61765456 राशि की हानि उठानी पड़ी, जिसका विस्तृत विवरण "परिशिष्ट 8" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिषद

को जल आपूर्ति व्यवसायिक दरों पर की गई थी, जबकि नगर परिषद द्वारा उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति घरेलू दरों पर की गई थी।

अतः नगर परिषद तुरन्त सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति करने के लिए ठोस कदम उठाएं। अंकेक्षण अध्याचना संख्या 313 के प्रति उत्तर में अवगत करवाया कि पानी की दरों से सम्बन्धित मामला, नगर परिषद अध्यक्ष व माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश से परिषद पत्र सं० 2016-2646 दिनांक 20.2.2016 द्वारा उठाया गया था, परन्तु नगर परिषद द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर के अनुसार मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस मामले में शीघ्र अति शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. पार्किंग शुल्क ₹6.29 लाख की वसूली न करने बारे :-

पार्किंग शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 में परिषद क्षेत्र में स्थित पार्किंग स्थलों को संचालन हेतु टैडर आधार पर उच्चतम बोलीदाता को आवंटित किया गया था। अंकेक्षण अवधि में आवंटियों से पार्किंग शुल्क के रूप में ₹628800 की वसूली न करने के कारण परिषद को हानि उठानी पड़ी, जिसका विवरण "परिशिष्ट "9" पर दिया गया है। बकाया राशि को शीघ्र अति शीघ्र नियमानुसार वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. विज्ञापन शुल्क ₹4.07 लाख की वसूली शेष :-

नगर परिषद के अवार्ड पत्र संख्या: MC/Work/2010-1971-1972, दिनांक 9.3.2010 के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में 3/2010 से पांच वर्षों की अवधि के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन लगाने हेतु निम्न दरों पर मै. नव निर्माण मीडिया पब्लिसिटी एसजीओ-193 द्वितीय फ्लोर, सैक्टर-16 पंचकूला, हरियाणा को अधिकृत किया गया था।

क्र० सं०	विज्ञापन का स्थान	संख्या	दर प्रति वर्ष	राशि ₹
1.	युनी पोल्स	20	8000	160000
2.	बिजली के खम्भे	75	725	54375
3.	वर्षाशालिका	5	1550	7750
4.	शहर के मुख्य द्वार	2	1030	2060
5.	निजि सम्पति	—	360	—
कुल योग				₹224185

विज्ञापन शुल्क से प्राप्त आय के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2010-2011 से 3/2015 तक मै. नव-निर्माण मीडिया पब्लिसिटी पंचकूला हरियाणा से विज्ञापन शुल्क ₹406680 की वसूली के शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	वर्ष	वसूली योग्य राशि (प्रति वर्ष)	वसूली गई राशि (प्रति वर्ष)	कम वसूली गई राशि (प्रति वर्ष)
1.	2010-2011	224185	104000	120185
2.	2011-2012	224185	131950	92235
3.	2012-2013	224185	144500	79685
4.	2013-2014	224185	158950	65235
5.	2014-2015	224185	174845	49340
	योग	₹1120925	₹714245	₹406680

अतः इस राशि की वसूली उचित स्रोत से कर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. पालतू कुत्ता शुल्क (Dog Tax) ₹1.35 लाख की वसूली शेष :-

पालतू कुत्ता शुल्क पंजिका के अवलोकन से पाया गया कि नगर परिषद द्वारा पंजीकृत कुत्तों को टोकन संख्या आवंटित की गई थी। मार्च 2015 तक नगर परिषद द्वारा 498 टोकन आवंटित किए गए थे, जबकि इन आवंटित टोकनों के विरुद्ध शुल्क के रूप में क्रमशः वर्ष 2009-2010 से 22 प्रकरणों में मात्र ₹1100 वर्ष 2010-2011 में 29 प्रकरणों में ₹1450, वर्ष 2011-2012 में 19 प्रकरणों में ₹950, वर्ष 2012-2013 में 93 प्रकरणों में ₹4650, वर्ष 2013-2014 में 12 प्रकरणों में ₹600 व वर्ष 2014-2015 में 18 प्रकरणों में ₹900 की ही वसूली की गई। इस प्रकार कुत्ता शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹134700 की वसूली की जानी शेष थी।

क्र० सं०	वर्ष	पंजीकृत कुत्तों की सं०	कुत्तों की संख्या जिनसे शुल्क प्राप्त किया	कुत्तों की सं० जिनसे शुल्क प्राप्त नहीं किया	शुल्क दर प्रति कुत्ता	शेष वसूली
1.	2009-10	440	22	418	50	20900
2.	2010-11	470	29	441	50	22050
3.	2011-12	488	19	469	50	23450
4.	2012-13	494	93	401	50	20050
5.	2013-14	497	12	485	50	24250
6.	2014-15	498	18	480	50	24000

कुल योग ₹134700

अतः उपरोक्त वसूली यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि इससे पहले भी लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2009 से 2011 के पैरा संख्या 6(ज) व अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 2011 से 2013 के पैरा संख्या-18 भी प्रकाश में लाया गया था, परन्तु इस मामले पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जिससे इस मामले के प्रति नगर परिषद की उदासीनता परिलक्षित होती है। अतः भविष्य में अपेक्षित वसूली समय रहते की जानी सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

18. मोबाइल टावर स्थापना/नवीनीकरण शुल्क ₹0.44 लाख की वसूली शेष :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-DEV-IT-2005, दिनांक 22.8.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाइल टावरों से स्थापना शुल्क की एक मुश्त राशि ₹10000 प्रति टावर तथा वार्षिक शुल्क ₹5000 प्रति टावर वसूल करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा "परिशिष्ट "10" में दिए गए विवरणानुसार स्थापना शुल्क तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹43750 की वसूली नहीं की गई थी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शेष राशि की वसूली उचित स्रोत से करके परिषद निधि में जाना करवाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19. कामकाजी महिला आवास के आवंटियों से बिजली प्रभार ₹4.27 लाख की कम वसूली :-

(क) कामकाजी महिला आवास के लेखाओं की जांच पर पाया गया कि वर्ष 1999 से 2002 व 2007 से 2015 के दौरान परिषद द्वारा बिजली प्रभार के रूप में ₹667325 का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सोलन को किया गया व कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं/चौकीदार से बिजली प्रभार की केवल ₹240457 की ही वसूली की गई अर्थात ₹426868 की कम वसूली की गई, जिसका विवरण संलग्न "परिशिष्ट "11" में दिया गया है। यह प्रकरण अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009-2011 के पैरा संख्या 6(ड.) व अंकेक्षण प्रतिवेदन 2011-2013 के पैरा संख्या 22 में भी उजागर किया गया था। अतः कम वसूल की गई राशि की वसूली सभी कामकाजी महिलाओं एवं चौकीदार से अनुपातिक आधार पर करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) कामकाजी महिला आवास के किराय ₹0.45 लाख की वसूली शेष :-

उप-निदेशक सामाजिक महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 5-9/75-Wel-e दिनांक 3.4.2003 के अनुसार कामकाजी महिला आवास में सिंगल बैड हेतु कामकाजी महिला से उसके कुल Emoluments के 15 प्रतिशत के बराबर किराय राशि की

वसूली की जानी थी। अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार ₹45255 का आवास शुल्क कम प्राप्त किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 1.9.2012 व 1.4.2014 से न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 30 दिनों का वेतन क्रमशः ₹4500 व ₹5100 बनता है तथा न्यूनतम वेतन पर 15% की दर से आवास किराया क्रमशः 675 व 765 बनता है, जोकि सभी महिला आवासियों से वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	महिला का नाम	अवधि	वसूला जा रहा किराया	न्यूनतम किराया प्रति माह	अन्तर	माह सं०	कम वसूली गई राशि
1.	वीना शर्मा	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260
		1.4.14 से 31.3.15	570	765	195	12	2340
2.	शीतल	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260
		1.4.14 से 31.3.15	570	765	195	12	2340
3.	निवेदिता	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260
		1.4.14 से 30.6.14	570	765	195	3	585
4.	यजेश्वरी	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260
		1.4.14 से 31.10.14	570	765	195	7	1365
5.	रामकली	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260
		1.4.14 से 31.1.15	570	765	195	10	1950
6.	भीषम	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260
		1.4.14 से 31.1.15	570	765	195	12	2340
7.	स्वाति	1.4.13 से 31.3.14	600	675	75	12	900
		1.4.14 से 31.3.15	600	765	195	12	1980
8.	वन्दना	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260

		1.4.14 से 31.3.15	570	765	195	12	2340
9.	अंजु नेगी	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260
		1.4.14 से 31.3.15	570	765	195	12	2340
10.	निर्मला	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260
		1.4.14 से 31.3.15	570	765	195	12	2340
11.	अंजु वाला सुपुत्री श्री जिआ लाल	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260
		1.4.14 से 31.3.15	570	765	195	12	2340
12.	सविता	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260
		1.4.14 से 31.3.15	570	765	195	12	2340
13.	अंजना सुपुत्री श्री कृष्ण दत्त	1.4.13 से 31.3.14	570	675	105	12	1260
		1.4.14 से 31.3.15	570	765	195	12	2340
14.	कल्पना	1.6.14 से 31.3.15	675	765	90	10	900
15.	सन्तोष	1.7.14 से 31.3.15	570	765	195	9	1755

कुल योग ₹45255

20. लाईसेंस फीस ₹0.15 लाख की वसूली न करने बारे :-

नियमानुसार नगर परिषद क्षेत्र में रेहड़ी धारकों को अप्रैल माह में निर्धारित दरों पर पूरे वर्ष के लिए रेहड़ी शुल्क जमा करवा कर लाईसेंस नवीनीकरण करवाना अनिवार्य था, परन्तु निम्न प्रकरणों में रेहड़ीधारकों से वर्ष 2014-2015 में लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई, जिसके कारण परिषद को ₹15000 की हानि उठानी पड़ी। अतः लाईसेंस फीस की वसूली न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इसकी वसूली उचित स्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	रेहड़ीधारक नाम	का लाईसेंस नं०	अवधि जिसमें लाईसेंस फीस की वसूली की जानी थी	योग्य वसूली राशि
1.	लखपाल सिंह	233	1.4.2014 से 31.3.2015	1500
2.	किशोर शर्मा	300	1.4.2014 से 31.3.2015	1500
3.	कालू राम	260	1.4.2014 से 31.3.2015	1500
4.	मिशरी लाल	200	1.4.2014 से 31.3.2015	1500
5.	कमलेश शर्मा	314	1.4.2014 से 31.3.2015	1500
6.	मोनिका	285	1.4.2014 से 31.3.2015	1500
7.	अरूण जीता	280	1.4.2014 से 31.3.2015	1500
8.	नबल किशोर	223	1.4.2014 से 31.3.2015	1500
9.	सुरेन्द्र कुमार	274	1.4.2014 से 31.3.2015	1500
10.	परमेश्वर यादव	254	1.4.2014 से 31.3.2015	1500
कुल योग				₹15000

21. शराब शुल्क :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि में आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रुपया प्रति बोतल के हिसाब से शराब शुल्क की निम्न विवरणानुसार ₹4441412 की राशि की आय प्राप्त हुई।

वर्ष	चैक संख्या	पत्र संख्या जिसके अन्तर्गत शुल्क प्राप्त हुआ तथा वर्ष जिससे सम्बन्धित शुल्क प्राप्त हुआ	राशि ₹
2013-2014	बैंकर चैक संख्या 879958, दिनांक 2.3.2015 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सोलन	पत्र सं०: ईएक्सएन-एसएलएन 3155, दिनांक 16.3.2015 द्वारा वर्ष 2013-2014 से सम्बन्धित शुल्क	2170805
2014-2015	बैंकर चैक संख्या 947925, दिनांक 7.1.2016 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सोलन	पत्र सं०: ईएक्सएन-एसएलएन कैश-1219, दिनांक 18.1.2016 वर्ष 2014-2015 से सम्बन्धित शुल्क	2270607
कुल योग			₹4441412

शराब शुल्क प्राप्ति के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि आबकारी एवं कराधान द्वारा देय शुल्क को न तो समय पर अदा किया गया और न ही नगर परिषद परिक्षेत्र में बेची गई बोतलों की संख्या परिषद को सूचित की गई थी, जिसकी अनुपस्थिति में नगर परिषद को होने वाली आय की पुष्टि अंकेक्षण के द्वारा सम्भव नहीं हो सकी। अतः सम्बन्धित विभाग से विगत वर्षों के अपेक्षित पूर्व विवरण के साथ-साथ वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 में बेची गई कुल बोतलों की संख्या की जानकारी हेतु अभिलम्ब पत्राचार करके देय शुल्क के सत्यापन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22. बिजली शुल्क :-

शहरी विभाग की अधिसूचना संख्या: एलएसएचडी(1)-9/94-खण्ड-II, दिनांक 13.12.2000 के अनुसार नगर परिषद परिक्षेत्र के भीतर बिजली की कुल खपत पर दिनांक 1.1.2001 से एक पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से सम्बन्धित नगर परिषद को विद्युत बोर्ड द्वारा दिया जाना अपेक्षित था, किन्तु बोर्ड द्वारा नगर परिषद को इस प्रकार देय राशि का समायोजन स्ट्रीट लाइटों/बिजली बिलों आदि के देय राशि के विरुद्ध नियमित रूप से किया गया था तथा नगर परिषद को इस मद से कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई। नगर परिषद कार्यालय के पत्र संख्या : MC/SLN/2013-3703, दिनांक 2.12.2013 के प्रत्युत्तर में अतिरिक्त अधिक्षण अभियन्ता (Add. Superintending Engineers) विद्युत उप-मण्डल सोलन के पत्र संख्या: HES/AB-G/2012-2013-14422, दिनांक 3.12.2013 द्वारा परिषद को अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Dues certifiacte) स्ट्रीट लाइटों/बिजली बिलों के भुगतान के विरुद्ध जारी किया गया है। इसके उपरान्त हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड सोलन द्वारा कुल राशि ₹17,16,486 का भुगतान नगर परिषद सोलन को किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	चैक सं०/दिनांक	पत्र संख्या जिसके अन्तर्गत बिजली शुल्क राशि ₹ प्राप्त हुआ	
—	080493, दिनांक 28.3.2014	HES/Cash-1/ 2014-141 दिनांक 7.4.2014	1030288
—	091169, दिनांक 26.12.2014	-Nil-	400199
	078759, दिनांक 26.3.2015	HES/Cash-1/ 2014-31 दिनांक 4.4.2015	285999
कुल योग			₹1716486

बिजली शुल्क प्राप्ति के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड सोलन द्वारा देय शुल्क न तो समय पर दिया गया और न ही नगर परिषद परिक्षेत्र में बिजली की खपत का विवरण वर्षवार उपलब्ध किया गया, जिसकी अनुपस्थिति में नगर परिषद को प्राप्त होने वाली आय की सही पुष्टि अंकेक्षण द्वारा सम्भव न हो सकी। अतः सम्बन्धित विभाग से विगत वर्षों के अपेक्षित पूर्ण विवरण के साथ-साथ वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 में की गई बिजली की कुल खपत प्रति यूनिट के हिसाब से जानकारी हेतु अविलम्ब पत्राचार करके व बिजली बोर्ड द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों/बिजली बिलों की कितनी राशि का समायोजन परिषद के बिजली शुल्क से किया गया है। जानकारी प्राप्त कर सही राशि के सत्यापन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 23 **हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1)(ग) के प्रावधानों के विपरीत स्थापना पर ₹250.16 लाख का अनाधिकृत रूप से अनियमित व्यय किया जाना :-**

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1)(ग) के अनुसार स्थापना पर व्यय नगरपालिका के कुल व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा। नगर परिषद के अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान निम्न विवरणानुसार स्थापना पर ₹25016249 का व्यय उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत किया गया। अतः हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 5.3(1) के प्रावधानों के विपरीत स्थापना पर व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त आगामी वर्षों के दौरान उपरोक्त धारा के अनुरूप स्थापना व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि	परिषद का कुल व्यय ₹	स्थापना पर कुल व्यय ₹	स्थापना पर व्यय की प्रतिशतता	कुल व्यय का 1/3 व्यय जो स्थापना पर किया जाना था ₹	स्थापना पर अनियमित/अधिक व्यय ₹
2013-14	140397087.70	59468212.00	42.36%	46799029.00	12669183.00
2014-15	161904465.00	66315221.00	40.96%	53968155.00	12347066.00
				कुल योग	₹25016249.00

24 नगर परिषद निधि से ₹265.57 लाख की पैन्शन का अनियमित भुगतान :-

अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा पैन्शन निधि की रोकड़ वही का रख-रखाव नहीं किया गया था, जबकि पैन्शन अंशदान प्राप्ति व पैन्शन भुगतान के खाते रखे गए थे। पैन्शन निधि में जमा राशि का अलग बैंक खाता संख्या: 10645 (आईडीबीआई बैंक) रखा गया था। पैन्शन निधि में पर्याप्त राशि न होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पैन्शन का भुगतान नगर परिषद निधि से किया गया है। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक नगर परिषद निधि से ₹26557458.05 का अनियमित रूप से पैन्शन का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण "परिशिष्ट "12" पर दिया गया है। नगर परिषद निधि में पैन्शन भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। अतः नगर परिषद निधि से पैन्शन का भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पैन्शन अंशदान निधि की अलग रोकड़ वही का निर्माण करके पैन्शन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा 31.3.2015 तक पैन्शन निधि से अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि ₹26557458.05 की उचित माध्यम से प्रतिपूर्ति करके नगर परिषद निधि में जमा किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 वर्ष 2013—14 व 2014—15 के दौरान वार्ड नं० 6, 9 व 12 में घर-घर से कूड़ा एकत्रित करके नगर परिषद के डस्टबिन तक पहुंचाने के कार्य में ₹13.22 लाख की हानि :-

परिषद की बैठक दिनांक 26.2.2013 के प्रस्ताव संख्या 431/2013 द्वारा घर-घर से कूड़ा एकत्रित करने बारे निर्णय लिया गया, जिसमें प्रत्येक घर से प्रतिमाह ₹30 कूड़ा एकत्रित करने का शुल्क भी निर्धारित किया गया। वार्ड नं० 6, 9 व 12 के लिए घर-घर से कूड़ा एकत्रित करके नगर परिषद के डस्टबिन तक पहुंचाने के कार्य का अनुबन्ध निम्न विवरणानुसार श्री अशोक कुमार सैनेटरी संविदाकार को दिया गया।

क्र० सं०	अनुबन्ध संख्या/दिनांक	वार्ड नं०	यूनिट	मात्रा	दर	राशि ₹
1.	एमसी वर्क्स/2013—311, दिनांक 30.4.2013	6	प्रतिदिन	4 व्यक्ति	600 प्रतिदिन	219000
2.	एमसी वर्क्स/2013—312, दिनांक 30.4.2013	9	प्रतिदिन	4 व्यक्ति	600 प्रतिदिन	219000
3.	एमसी वर्क्स/2013—313, दिनांक 30.4.2013	12	प्रतिदिन	4 व्यक्ति	600 प्रतिदिन	219000

उपरोक्त कार्यों का आवंटन एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। उपरोक्त से सम्बन्धित कार्य का अनुमान व कार्य आवंटन से सम्बन्धित जस्टीफिकेशन लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में यह पता नहीं चल सका कि प्रत्येक वार्ड में चार-चार व्यक्ति किस आधार पर रखे गए थे व प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कितने घरों से कूड़ा एकत्रित किया जाना था।

अनुबन्ध की शर्त के अनुसार प्रति घर प्रतिदिन एक रुपये संविदाकार द्वारा एकत्रित करके सफाई निरीक्षक के पास जमा किया जाना था। संविदाकार को उपरोक्त अनुबन्धों के विरुद्ध निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया था।

माह	वार्ड नं० 6 ₹	वार्ड नं० 9 ₹	वार्ड नं० 12 ₹	कुल भुगतान ₹
5/2013	17400	17400	17400	52200
6/2013	18000	17400	17400	52800
7/2013	17400	18000	18000	53400
8/2013	18000	18000	17400	53400
9/2013	17400	17400	18000	52800
10/2013	18000	18000	18000	54000
11/2013	17400	17400	18000	52800
12/2013	18600	18600	18600	55800

1 / 2013	18600	18000	17400	54000
2 / 2013	16800	16800	15600	49200
3 / 2013	18600	18600	18000	55200
4 / 2013	18000	17400	17400	52800
5 / 2013	18600	17400	16800	52800
6 / 2013	18000	18000	18000	54000
7 / 2013	10200	9000	10800	30000
कुल भुगतान	₹261000	₹257400	₹256800	₹775200

इस प्रकार वार्ड नं० 6, 9 व 12 के घर-घर से कूड़ा एकत्रित करके नगर परिषद के डस्टबिन तक पहुंचाने के कार्य में निम्न विवरणानुसार ₹706830 की हानि हुई है।

क्र० सं०	वार्ड सं०	संविदाकार को कुल भुगतान ₹	संविदाकार द्वारा किए कार्य के विरुद्ध वसूली ₹	नगर परिषद को हानि ₹
1.	6	261000	24000	237000
2.	9	257400	24120	233280
3.	12	256800	20250	236550
	जोड़	₹775200	₹68370	₹706830

उपरोक्त मामला लेखा परीक्षा अध्याचना संख्या 298, दिनांक 22.12.2015 व 304, दिनांक 24.12.2015 द्वारा नगर परिषद अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था, जिनके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन द्वारा पत्र संख्या : न०प० सो०-2015-4665 दिनांक 2.2.2016 व पत्र संख्या: न०प० सो०-2015-4664, दिनांक 2.2.2016 द्वारा सूचित किया कि प्रत्येक वार्ड 500 से 600 घर थे, जिनके लिए घर-घर से कूड़ा एकत्रित करने के लिए लगभग 5-6 कर्मचारियों की आवश्यकता थी तथा वार्डों में घर-घर से कूड़ा एकत्रित करने का कार्य सुचारु रूप से किया गया, लेकिन ₹1 प्रतिदिन के अनुसार शुल्क की वसूली नहीं की गई है, जिसकी वसूली बिल जारी करके कर ली जाएगी।

लेखा परीक्षा कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत नहीं है। यदि वार्ड में 500 से 600 घर थे, तो अनुबन्ध में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रति घर कूड़ा एकत्रित करने की शर्त लगाई जानी अपेक्षित थी। यदि यह शर्त अनुबन्ध में लगाई होती तो संविदाकार को प्रति माह किए जा रहे भुगतान की वसूली आसानी से की जा सकती थी तथा नगर परिषद उपरोक्त हानि से बच सकती थी। अतः अब संविदाकार द्वारा घर-घर से कूड़ा एकत्रित करके नगर परिषद डस्टबिन तक पहुंचाने के बदले ₹1 प्रतिदिन प्रति घर वसूली करे। उपरोक्त हानि ₹706830 की वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

इसी प्रकार वर्ष 2014-15 के दौरान घर-घर से कूड़ा एकत्रित करके नगर परिषद के डस्टबिनों तक पहुंचाने का कार्य निम्न विवरणानुसार आवंटित किया गया था।

क्र० सं०	संविदाकार का नाम/ अनुबन्ध सं०/दिनांक	वार्ड नं०	यूनिट मात्रा	दर	राशि ₹
1.	श्री गोपाल सिंह एमसी/वर्कस/2014-13 62, दिनांक 31.7.2014	6	प्रतिदिन चार व्यक्ति	₹169 प्रति व्यक्ति	प्रतिदिन 246740
2.	श्री लक्ष्मी कुमार एमसी/वर्कस/2014-1363, दिनांक 31.7.2014	9	प्रतिदिन चार व्यक्ति	₹169 प्रति व्यक्ति	प्रतिदिन 246740
3.	श्री दीपक कुमार एमसी/वर्कस/2014-13 64, दिनांक 31.7.2014	12	प्रतिदिन चार व्यक्ति	₹168 प्रति व्यक्ति	प्रतिदिन 245280

उपरोक्त अनुबन्धों में शर्त संख्या 7 के अनुसार ₹1 प्रतिदिन प्रति घर मासिक/दैनिक एकत्रित करके सफाई निरीक्षक के पास जमा किया जाना था तथा अनुबन्ध की शर्त संख्या 8 के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कम से कम 100 घरों से कूड़ा एकत्रित किया जाना अनिवार्य था अन्यथा कम किए गए कार्य की संविदाकार के बिलों से तदानुसार वसूली की जानी थी।

संविदाकारों को उपरोक्त अनुबन्धों के विरुद्ध निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया था।

माह	श्री गोपाल सिंह वार्ड नं० 6 ₹	श्री लक्ष्मी कुमार वार्ड नं० 9 ₹	श्री दीपक कुमार वार्ड नं० 12 ₹	कुल भुगतान ₹
8/2014	20832	20956	20832	62620
9/2014	20160	20280	20160	60600
10/2014	20832	28956	20160	61948
11/2014	20160	20280	20160	60600
12/2014	20832	20956	20160	61948
1/2015	20832	20956	20832	62620
2/2015	18816	10928	18816	48560
3/2015	20832	20956	20832	62620
4/2015	20160	20280	20160	60600
5/2015	20832	20956	20832	62620
6/2015	20160	20280	15120	55560
7/2015	20832	20956	20832	62620
8/2015	20832	20956	20832	62620
जोड़	₹266112	₹259696	₹259728	₹785536

उपरोक्त किए गए भुगतान व वार्डों में किए गए कार्य के लिए प्रति घर ₹30 प्रति माह की दर से निम्न विवरणानुसार वसूली की गई थी।

माह जिसकी राशि प्राप्त की गई	वार्ड नं0 6 जितने घरों से वसूली की गई	₹30 प्रति घर प्राप्त राशि	वार्ड नं0 9 जितने घरों से वसूली की गई	₹30 प्रति घर प्राप्त राशि	वार्ड नं0 12 जितने घरों से वसूली की गई	₹30 प्रति घर प्राप्त राशि	कुल प्राप्ति
8 / 2014	46	1380	84	2520	26	860	4760
9 / 2014	46	1380	84	2520	26	860	4760
10 / 2014	46	1380	87	3030	79	2370	6780
11 / 2014	59	1770	92	2760	134	4020	8550
12 / 2014	85	2550	131	3930	97	2930	9410
1 / 2015	212	7840	128	6570	119	4420	18830
2 / 2015	194	7540	113	6340	232	7870	21780
3 / 2015	166	5740	185	7400	49	1740	14880
4 / 2015	232	7550	167	7410	108	5670	20630
5 / 2015	232	7300	189	7850	200	7450	22600
6 / 2015	119	3850	218	8150	44	1630	13630
7 / 2015	205	7580	190	7520	85	4550	19650
8 / 2015	135	4120	—	—	1	180	4300
	जोड़	₹60010		₹66000		₹44550	₹170560

25.1 वर्ष 2014–15 के दौरान ₹3.28 लाख की वसूली न करके संविदाकार को अधिक भुगतान करना :-

अनुबन्धों में दर्शाई गई शर्त संख्या 8 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कम से कम 100 घरों से प्रतिदिन कूड़ा एकत्रित करके नगर परिषद के डस्टबिनों तक पहुंचाना था तथा शर्त संख्या 7 के अनुसार ₹1 प्रति घर प्रतिदिन/मासिक वसूल करके नगर परिषद सफाई निरीक्षक के पास जमा किया जाना था। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा कार्य पर लगाए गए व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन 100 घरों से कूड़ा एकत्रित नहीं किया था न ही 100 घरों से प्रतिदिन/प्रतिमाह ₹1 प्रति दिन की दर से वसूली करके सफाई निरीक्षक के पास जमा की गई। संविदाकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 से कम घरों से कूड़ा एकत्रित करने पर सफाई निरीक्षक के पास कम जमा राशि के बराबर राशि संविदाकार के बिलसे वसूल करके संविदाकार को उतनी राशि का कम भुगतान किया जाना था, लेकिन संविदाकार द्वारा कम कार्य किए जाने

पर उसके बिलों से कम किए गए कार्य के लिए वसूली नहीं की गई थी, जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार संविदाकार से ₹1 की वसूली न करके संविदाकार को की अधिक भुगतान किया गया था।

माह	अनुबन्ध अनुसार जितने घरों से कूड़ा एकत्रित किया जाना था (100x4)	जितने घरों से कूड़ा एकत्रित किया गया	जितने कम घरों से कूड़ा एकत्रित किया गया	₹1 प्रतिदिन/₹30 प्रति माह की दर से संविदाकार बिल से वसूली योग्य राशि ₹
वार्ड नं० 6				
8 / 2014	400	46	354	10620
9 / 2014	400	46	354	10620
10 / 2014	400	46	354	10620
11 / 2014	400	59	341	10230
12 / 2014	400	85	315	9450
1 / 2015	400	212	188	5640
2 / 2015	400	194	206	6180
3 / 2015	400	166	234	7020
4 / 2015	400	232	168	5040
5 / 2015	400	232	168	5040
6 / 2015	400	119	281	8430
7 / 2015	400	205	195	5850
8 / 2015	400	135	265	7950
			जोड़	₹102690
वार्ड नं० 9				
8 / 2014	400	84	316	9480
9 / 2014	400	84	316	9480
10 / 2014	400	87	313	9390
11 / 2014	400	92	308	9240
12 / 2014	400	131	269	8070
1 / 2015	400	128	272	8160
2 / 2015	400	113	287	8610
3 / 2015	400	185	215	6450
4 / 2015	400	167	233	6990
5 / 2015	400	189	211	6330
6 / 2015	400	218	182	5460
7 / 2015	400	190	210	6300
8 / 2015	400	—	400	12000

				जोड़	₹105960
वार्ड नं० 12					
8 / 2014	400	26	374		11220
9 / 2014	400	26	374		11220
10 / 2014	400	79	321		9630
11 / 2014	400	134	266		7980
12 / 2014	400	97	303		9090
1 / 2015	400	119	281		8430
2 / 2015	400	232	168		5040
3 / 2015	400	49	351		10530
4 / 2015	400	108	292		8760
5 / 2015	400	200	200		6000
6 / 2015	400	84	316		9480
7 / 2015	400	85	315		9450
8 / 2015	400	1	399		11970
				जोड़	₹118800

कुल कम वसूली (₹102690+₹105960+₹118800) = ₹327450

संविदाकार से उपरोक्त वसूली योग्य राशि ₹327450 की संविदाकार को भुगतान करते समय अनुबन्ध की शर्त के अनुसार वसूली न करके संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया। अतः संविदाकार से वसूली योग्य उपरोक्त राशि की संविदाकार के बिलों से वसूली न करके बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा संविदाकार से कम वसूल की गई राशि ₹327450 की उचित स्रोत एवं चूककर्ता से वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त कार्य में उपरोक्त अनुबन्धों के किए गए भुगतान व प्राप्त राशियों के अनुसार नगर परिषद सोलन को निम्न विवरणानुसार ₹614976 की हानि हुई थी, जिसके बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त हानि की राशि की उचित स्रोत एवं चूककर्ता से वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र० सं०	वार्ड सं०	संविदाकार को कुल भुगतान ₹	संविदाकार द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध वसूली ₹	नगर परिषद की हानि ₹
1.	6	266112	60010	206102
2.	9	259696	66000	193696
3.	12	259728	44550	215178
जोड़		₹785536	₹170560	₹614976

इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान घर-घर से कूड़ा उठाने व डस्टबिन तक लाने के कार्य में परिषद को कुल राशि ₹1321806 (₹706830+₹614976) की हानि हुई। अतः हानि के

कारणों को स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली दोषी से करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

25.2 उपरोक्त कार्य के अनुबन्धों के अनुसार संविदाकार द्वारा घर-घर से कूड़ा एकत्रित करके नगर परिषद डस्टबिनों में पहुंचाने के कार्य में प्रति घर ₹1 प्रतिदिन/प्रतिमाह वसूली करके नगर परिषद सफाई निरीक्षक के पास जमा करनी थी, लेकिन चर्चा में बताया गया कि संविदाकारों द्वारा वार्डों में किए गए कार्य के विरुद्ध वसूली नहीं की गई थी। वसूली करने हेतु नगर परिषद द्वारा श्री राजेश कुमार सफाई कर्मचारी को लगाया गया था, जोकि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन था तथा श्री राजेश कुमार सफाई कर्मचारी को नगर परिषद द्वारा प्रतिमाह लगभग ₹22000 वेतन का भुगतान किया गया था, जबकि श्री राजेश कुमार प्रति माह बहुत कम राशि प्रति माह एकत्रित करके नगर परिषद में जमा करता रहा। अतः संविदाकार के स्थान पर श्री राजेश कुमार सफाई कर्मचारी से घर-घर से कूड़ा एकत्रित करने की राशि की वसूली अनियमित ही नहीं आपत्तिजनक भी है, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त जिस अवधि में श्री राजेश कुमार द्वारा घर-घर से कूड़ा एकत्रित करने के बदले राशि एकत्रित की है। उस अवधि के श्री राजेश कुमार के वेतन की सम्बन्धित संविदाकारों एवं चूककर्ता से वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

25.3 उपरोक्त कार्य को संविदाकारों को आवंटित करने के सम्बन्ध में जस्टीफिकेशन लेखा परीक्षा के दौरान नहीं दिखाई गई। यदि कार्य की जस्टीफिकेशन के अनुसार अनुबन्ध में शर्तें लगाकर कार्य आवंटित किया जाता तो नगर परिषद उपरोक्त पैरे में दर्शाई गई हानि से बच सकती थी। अतः कार्य का आवंटन करते समय बिना जस्टीफिकेशन के कार्य आवंटन करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अध्याचना संख्या 304, दिनांक 24.12.2015 द्वारा नगर परिषद अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन के पत्र संख्या : न0प0 सो0-2015-4664, दिनांक 2.2.2016 द्वारा सूचित किया था कि उपरोक्त कार्य आवंटन के अनुसार सभी वार्डों में प्रतिमाह सुचारु रूप से कार्य किया गया, लेकिन सभी घरों से ₹1 प्रतिदिन के अनुसार शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वसूली कर ली जाएगी। अंकेक्षण उपरोक्त उत्तर से सहमत नहीं है। उपरोक्त कार्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किया जाना अपेक्षित था तथा संविदाकार को भी अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त आपत्तियों का अनुबन्ध की शर्तों को मध्ययनजर रखते हुए निपटारा किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25.4 संविदाकार द्वारा किए गए कार्य के बदले माह 6/2014 व 7/2014 में किसी भी घर से ₹1 प्रतिदिन प्रतिघर/₹30 प्रतिमाह वसूली नहीं की गई थी। अतः माह 6/2014 व 7/2014 में किए गए कार्य के विरुद्ध वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

25.5 उपरोक्त कार्य संविदाकार को दिनांक 30.4.2013 को एक वर्ष के अवधि के लिए आवंटित किया गया था। संविदाकार का अनुबन्ध दिनांक 30.4.2014 को समाप्त हो गया था, लेकिन संविदाकार को माह जुलाई 2015 तक भुगतान किया गया था। संविदाकार को दिनांक 1.5.2014 से 31.7.2015 तक की अवधि के लिए कार्य बढ़ौतरी की स्वीकृति अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई। अतः उपरोक्त अवधि के लिए कार्य बढ़ौतरी से सम्बन्धित स्वीकृति आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

26 नगर परिषद सोलन के लिपिकों को पूर्व अवधि से अनियमित रूप से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन करना :-

अति मुख्य सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या : यूडीवी(1)-1/2010 पार्ट-III, दिनांक 28.1.2015 द्वारा हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद/नगर पंचायत स्तर के कुछ कर्मचारियों, जिनमें लिपिक वर्ग भी शामिल है की सेवाओं को परिषद स्तर/पंचायत स्तरीय की गई थी। इससे पहले लिपिक वर्ग की सेवा राज्य स्तरीय की थी।

नगर परिषद सोलन द्वारा 18.2.2015 को लिपिक स्वर्ग की वरिष्ठता सूची निम्न प्रकार से दर्शाई गई थी।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	लिपिक के पद पर कार्य ग्रहण की तिथि
1.	श्री हेमन्त कुमार	1.1.1991 (दिनांक 1.2.1996 से कनिष्ठ सहायक)
2.	श्री योगेश कुमार	17.4.1996
3.	श्री देवी राम	31.1.1998
4.	श्री सुशील कुमार	27.9.1998
5.	श्री रविन्द्र कुमार	27.9.1998
6.	श्री तेज राम	28.8.2000
7.	श्री कुलदीप गुप्ता	28.8.2000
8.	श्री सुशान्त मोहन	19.6.2003
9.	श्री देवेन्द्र सिंह	2.7.2007
10.	श्री नरेश कुमार	2.7.2007
11.	श्री उमेश कुमार	2.9.2007

उपरोक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर नगर परिषद सोलन के कार्यालय आदेश संख्या: एसएलएन-1-एम-3/99-111-4370-4377, दिनांक 23.2.2015 द्वारा निम्न वर्णित कर्मचारियों

को लिपिक के पद पर 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर ₹10300-₹34800+₹3600 ग्रेड पे के वेतनमान में स्थापन किया गया।

क्र० सं०	वरिष्ठता सूची क्रमांक	कर्मचारी का नाम	कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन की तिथि
1.	(2)	श्री मोगेश कुमार	17.4.2001
2.	(3)	श्री देवी राम	1.9.2004
3.	(8)	श्री सुशान्त मोहन	19.6.2008
4.	(11)	श्री उमेश शर्मा	7.9.2012

वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या: 4,5,6,7,9 व 10 के अनुसार कार्यरत लिपिकों के नाम विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बन्द लिफाफे में रखे गए हैं। क्योंकि इन कर्मचारियों के विरुद्ध माननीय न्यायलय सोलन में विभिन्न अपराधिक धाराओं के अन्तर्गत मामले लम्बित हैं। सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि परिषद में लिपिकों के कुल 11 पद सृजित थे। इन पदों के विरुद्ध केवल 5 लिपिकों को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन किया जाना था, जिसमें एक पद पहले ही भरा जा चुका था। अति मुख्य सचिव (शहरी विकास) की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28.1.2015 के दृष्टिगत केवल 4 लिपिकों को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन किया जाना था। वरिष्ठता सूची के अनुसार क्रम संख्या 2 से 5 पर दर्शाए गए लिपिकों जो हि०प्र० कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-कार्मिक(नि-11)(बी)(11)-1/89, दिनांक 10.10.2001 द्वारा विहित योग्यता/प्रक्रिया को पूरा करते हो को कनिष्ठ सहायक के वेतनमान में स्थापित किया जाना था, लेकिन परिषद द्वारा उक्त पत्र में विहित निर्देशों के विपरीत वरिष्ठता सूची के क्रमांक 8 व 10 पर दर्शित क्रमशः श्री सुशान्त मोहन तथा श्री उमेश कुमार को दिनांक 19.6.2008 व 7.9.2012 से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन किया गया। अतः परिषद श्री सुशान्त मोहन तथा उमेश कुमार के कनिष्ठ सहायक पद के वेतनमान ₹10300-₹34800+₹3600 ग्रेड पे में स्थापन के प्रकरण को कार्मिक विभाग के पत्रांक दिनांक 10.10.2001 के अनुसार पुनः जांच करते हुए इन कर्मचारियों को अनियमित स्थापन के कारण भुगतान किए गए वेतन व भत्तों की राशि (परिषद स्तर पर गणना के उपरान्त) की वसूली करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27.1 प्रधान सचिव वित्त हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: फिन(पीआर)-बी (7)-64/2010, दिनांक 27.9.2012 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्वग/पदवार कुछ श्रेणियों के वेतन संशोधित किए गए थे। इन आदेशों के अनुसार क्रम संख्या 16 पर कनिष्ठ सहायक का वेतन दिनांक 1.10.2012 से ₹10300-₹34800+₹3600 ग्रेड पे संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार कनिष्ठ सहायक के वेतनमान ₹10300-₹34800+₹3600 ग्रेड पे में ₹10830+₹3600 ग्रेड पे Initial Start नहीं दिया जाना था, जबकि उपरोक्त पैरे में श्री सुशान्त

मोहन व श्री उमेश शर्मा का वेतन निर्धारित करते समय दिनांक 1.10.2012 से ₹10300+₹3600 ग्रेड पे के स्थान पर ₹10830+₹3600 ग्रेड पे प्रदान करके वेतन निर्धारित किया गया था, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त यदि कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन को सक्षम अधिकारी द्वारा 28.1.2015 से पूर्व अवधि से नियमित किया जाता है, तो श्री सुशान्त मोहन व श्री उमेश शर्मा का नियमानुसार वेतन निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28 वेतन व भत्तों की राशि ₹0.27 का अधिक भुगतान :-

श्री कर्म चन्द वर्मा सफाई निरीक्षक को दिनांक 1.10.2012 से प्रवर्ग/पदवार संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करके ₹4200 ग्रेड पे का भुगतान किया गया था, जबकि प्रवर्ग/पदवार संशोधित वेतनमानों की सूची के अनुसार सफाई निरीक्षक का वेतन संशोधित नहीं किया गया था। श्री कर्म चन्द वर्मा सफाई निरीक्षक को प्रवर्ग/पदवार संशोधित वेतनमानों के अनुसार ₹3800 ग्रेड पे के स्थान पर ₹4200 ग्रेड पे से भुगतान किया जाना नियमों के विपरीत था। अतः श्री कर्म चन्द वर्मा सफाई निरीक्षक को दिनांक 1.10.2012 से दिनांक 31.7.2015 तक ₹3800 ग्रेड पे से बढ़ाकर ₹4200 ग्रेड पे के आधार पर भुगतान करने वाले नियमों के अन्तर्गत औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से निम्न विवरणानुसार भुगतान की गई राशि ₹27528 की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 295, दिनांक 21.12.2015 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन के ध्यान में लाया गया था।

अवधि	मूल वेतन	ग्रेड पे	महंगाई भत्ता	कुल राशि	मूल वेतन	ग्रेड पे	महंगाई भत्ता	कुल राशि	अन्तरxमाह	अधिक भुगतान
1.10.12 से 31.12.12	19620	4200	17150	40970	19620	3800	16862	40282	688x3	2064
1.1.13 से 31.5.13	19620	4200	19056	42876	19620	3800	18736	42156	720x5	3600
1.6.13 से 30.6.13	20340	4200	16932	44172	20340	3800	19312	43452	720x1	720
1.7.13 से 31.12.13	20340	4200	22086	46626	20340	3800	21726	45866	760x6	4560
1.1.14 से 31.5.14	20340	4200	24540	49080	20340	3800	24140	48280	800x5	4000
1.6.14 से 30.6.14	21080	4200	25280	50560	21080	3800	24880	49760	800x1	800
1.7.14 से 31.12.14	21080	4200	27050	52330	21080	3800	26622	51502	828x6	4968
1.1.15 से 31.5.15	21080	4200	28566	53846	21080	3800	28114	52994	852x5	4260

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर उपरोक्त अधिक भुगतान की गई राशि की श्री कर्म चन्द वर्मा को सुनिश्चित प्रगतिशील योजना 4,9,14 की बकाया राशि का भुगतान करते समय दिनांक 16.12.2015 को वसूली कर ली गई है। अतः भविष्य में इस तरह की अनियमितता का न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29. संविदाकारों से सेल टैक्स ₹6.83 लाख की कम वसूली करना :-

प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना संख्या: ईएक्सएन-एफ(5) -1/2010 लूज, दिनांक 6.8.2012 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संविदाकारों द्वारा किए गए कार्य पर 3 प्रतिशत की दर से सेल टैक्स की वसूली की जानी थी। नगर परिषद सोलन द्वारा वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान संविदाकारों को किए गए भुगतान पर 3 प्रतिशत सेल टैक्स की वसूली न करके कम राशि की वसूली की गई थी, जिसके फलस्वरूप "परिशिष्ट "13" पर दिए गए विवरणानुसार वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान ₹682569 की कम वसूली की गई थी। संविदाकारों से सेल टैक्स की नियमानुसार वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कम वसूल की गई राशि की सम्बन्धित संविदाकारों से वसूली करके राशि को आबकारी एवं कराधान विभाग में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30. संविदाकारों के भुगतान बिलों से आयकर ₹1.52 लाख की वसूली न करना :-

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि कुछ संविदाकारों को किए गए भुगतान पर आयकर की वसूली नहीं की गई थी, जबकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी(1) के अनुसार संविदाकारों को किसी भी कार्य (मजदूर सप्लाई करने सहित) पर किए गए भुगतान पर आयकर की वसूली की जानी अपेक्षित थी। संविदाकारों को किए गए भुगतान पर आयकर की वसूली न करने के फलस्वरूप संविदाकारों को ₹152154 का अधिक भुगतान किया गया था तथा इतनी ही राशि की सरकार को राजस्व की हानि हुई है। संविदाकारों को किए गए भुगतान पर आयकर की वसूली न करने बारे नियमों के अन्तर्गत औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा निम्न विवरणानुसार संविदाकारों से आयकर की वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र० संविदाकार कार्य का विवरण	वर्ष	वर्ष के आयकर दर	आयकर की वसूली
सं० का ना		दौरान	

1. श्री अशोक वार्ड नं0 6, 9 व 12 2013—14
कुमार का घर—घर से कूड़ा
एकत्रित करना
2014—15
2. श्री गोपाल वार्डों में सफाई 2013—14
सिंह सम्बन्धित कार्य करना
वार्ड 6,7
2014—15
3. श्री महेन्द्र वार्डों में सफाई से 2013—14
सिंह सम्बन्धित कार्य
2014
4. श्री विजय वार्डों में सफाई से
कुमार सम्बन्धित कार्य
5. श्री रानी वार्डों में सफाई से
सम्बन्धित कार्य
6. श्री रोहित घर—घर से कूड़ा
एकत्रित करने का
कार्य (वार्ड 6,9,12)
7. श्री लक्ष्मण घर—घर से कूड़ा
कुमार एकत्रित करने का
कार्य
8. श्री दीपक —यथोपरि—
9. मै नैणा गाड़ी द्वारा कूड़ा
दीव ट्रेडर्ज फेंकने का कार्य, कूड़ा
समन्त्रक तक कूड़ा
ले जाने का काम
गाड़ी द्वारा
10. मै एसआर सालेड वेस्ट
एसोसिएट मैनेजमैन्ट फार
सलोगड़ा का कार्य

23. निष्कर्ष:—
लेखों में उचित
23. निष्कर्ष:—
लेखों में उचित
23. निष्कर्ष:—
लेखों में उचित
23. निष्कर्ष:—
लेखों में उचित
23. निष्कर्ष:—
लेखों में उचित

16 लघु आपत्ति विवरणी:— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्ष:—

लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता /—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :- V(19)फिन(एल0ए0),खण्ड—6—3743—3744 दिनांक 01.07.2016,
शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत
1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—2.
 2. सचिव, नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

हस्ता /—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "अ"

पैरा-1 (ग) में सन्दर्भित

नगर परिषद मनाली के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 30.6.1978 से 3/2012 तक के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 30.6.1978 से 31.3.1981

1	पैरा- 5 (1)	निर्णीत	(पैरा आगामी प्रतिवेदनों में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा- 6 (बी)	निर्णीत	(अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं)
3	पैरा- 6 (सी)	अनिर्णीत	
4	पैरा- 10 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा- 11	अनिर्णीत	
6	पैरा- 12 (ए)	अनिर्णीत	
7	पैरा- 12 (बी)	अनिर्णीत	
8	पैरा- 12 (डी) (ई)	अनिर्णीत	
9	पैरा- 12 (एफ)	अनिर्णीत	
10	पैरा- 12 (जी)	अनिर्णीत	
11	पैरा-13 (1)	अनिर्णीत	
12	पैरा-14 (ए)	अनिर्णीत	
13	पैरा-16	अनिर्णीत	
14	पैरा-18 (1)	अनिर्णीत	
15	पैरा-18 (2)	अनिर्णीत	
16	पैरा-18 (3)	अनिर्णीत	
17	पैरा-18 (4)	अनिर्णीत	
18	पैरा-18 (5)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1981 से 03/1982

1	पैरा-6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (बी)	अनिर्णीत

3	પૈરા-7 (એ)	અનિર્ણીત
4	પૈરા-7 (બી) (i)	અનિર્ણીત
5	પૈરા-7 (બી) (ii)	અનિર્ણીત
6	પૈરા-7 (સી)	અનિર્ણીત
7	પૈરા-7 (ડી)	અનિર્ણીત
8	પૈરા-9 (એ)	અનિર્ણીત
9	પૈરા-9 (બી)	અનિર્ણીત
10	પૈરા-9 (સી)	અનિર્ણીત
11	પૈરા-9 (ડી)	અનિર્ણીત
12	પૈરા-9 (ઈ)	અનિર્ણીત
13	પૈરા-9 (એફ)	અનિર્ણીત
14	પૈરા-9 (જી)	અનિર્ણીત
15	પૈરા-9 (એચ)	અનિર્ણીત
16	પૈરા-9 (આઈ)	અનિર્ણીત
17	પૈરા-9 (જે)	અનિર્ણીત
18	પૈરા-9 (કે)	અનિર્ણીત
19	પૈરા-9 (એલ)	અનિર્ણીત
20	પૈરા-9 (એમ)	અનિર્ણીત
21	પૈરા-9 (એન)	અનિર્ણીત
22	પૈરા-9 (ઓ)	અનિર્ણીત
23	પૈરા-9 (પી)	અનિર્ણીત
24	પૈરા-10	અનિર્ણીત
25	પૈરા-13	અનિર્ણીત
26	પૈરા-14 (1)	અનિર્ણીત
27	પૈરા-14 (2)	અનિર્ણીત
28	પૈરા-14 (3)	અનિર્ણીત
29	પૈરા-14 (4)	અનિર્ણીત
30	પૈરા-14 (5)	અનિર્ણીત
31	પૈરા-15	અનિર્ણીત
32	પૈરા-16 (1)	અનિર્ણીત

33	पैरा-16 (2)	अनिर्णीत
34	पैरा-16 (3)	अनिर्णीत
35	पैरा-18	अनिर्णीत
36	पैरा-20 (i)	अनिर्णीत
37	पैरा-20 (ii)	अनिर्णीत
38	पैरा-20 (iii)	अनिर्णीत
39	पैरा-20 (iv)	अनिर्णीत
40	पैरा-20 (v)	अनिर्णीत
41	पैरा-20 (vi)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1982 से 03/1984

1	पैरा-5 (बी)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं)
2	पैरा-5 (सी)	अनिर्णीत	
3	पैरा-5 (डी)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं)
4	पैरा-5 (ई)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं)
5	पैरा-5 (एफ)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं)
6	पैरा-5 (जी)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुका हैं)
7	पैरा-5 (आई)	अनिर्णीत	
8	पैरा-6 (2)	अनिर्णीत	
9	पैरा-7 (2)	निर्णीत	(पैरा आगामी प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित है)
10	पैरा-8	निर्णीत	(पालना की गई व शो टैक्स प्राप्त हो रहा है)
11	पैरा-9 (1)	अनिर्णीत	
12	पैरा-10	अनिर्णीत	
13	पैरा-12 (ए)	अनिर्णीत	
14	पैरा-12 (बी)	अनिर्णीत	
15	पैरा-12 (सी)	अनिर्णीत	
16	पैरा-12 (डी)	अनिर्णीत	
17	पैरा-13 (ए)	अनिर्णीत	
18	पैरा-13 (बी)	अनिर्णीत	

19	पैरा-13 (सी)	अनिर्णीत
20	पैरा-13 (डी)	अनिर्णीत
21	पैरा-13 (ई)	अनिर्णीत
22	पैरा-13 (एफ)	अनिर्णीत
23	पैरा-13 (जी)	अनिर्णीत
24	पैरा-13 (एच)	अनिर्णीत
25	पैरा-14 (1)	अनिर्णीत
26	पैरा-14 (2)	अनिर्णीत
27	पैरा-14 (3)	अनिर्णीत
28	पैरा-15 (2)	अनिर्णीत
29	पैरा-16	अनिर्णीत
30	पैरा-17	अनिर्णीत
31	पैरा-18 (1)	अनिर्णीत
32	पैरा-18 (2)	अनिर्णीत
33	पैरा-18 (3)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/84 से 03/86

1	पैरा-3 (व)	अनिर्णीत
2	पैरा-5 (3)	निर्णीत (उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं)
3	पैरा-5 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा-5 (5)	अनिर्णीत
5	पैरा-5 (6)	अनिर्णीत
6	पैरा-5 (7)	अनिर्णीत
7	पैरा-5 (8)	अनिर्णीत
8	पैरा-5 (9)	अनिर्णीत
9	पैरा-5 (10)	अनिर्णीत
10	पैरा-5 (11)	अनिर्णीत
11	पैरा-5 (12)	अनिर्णीत
12	पैरा-5 (13)	अनिर्णीत

13	पैरा-6 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा-6 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा-7 (ए) (2)	अनिर्णीत
16	पैरा-7 (सी) (ई)	अनिर्णीत
17	पैरा-8 (सी)(ई)	अनिर्णीत
18	पैरा-8 (एफ)	अनिर्णीत
19	पैरा-9 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा-9 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा-9 (सी)	अनिर्णीत
22	पैरा-9 (डी) (1)	अनिर्णीत
23	पैरा-9 (डी) (2)	अनिर्णीत
24	पैरा-14 (1)	अनिर्णीत
25	पैरा-14 (2)	अनिर्णीत
26	पैरा-14 (3)	अनिर्णीत
27	पैरा-14 (4)	अनिर्णीत
28	पैरा-17	अनिर्णीत
29	पैरा-18 (ए)	अनिर्णीत
30	पैरा-18 (बी)	अनिर्णीत
31	पैरा-18 (सी)(डी)	अनिर्णीत
32	पैरा-18 (ई)	अनिर्णीत
33	पैरा-18 (एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा-18 (जी)	अनिर्णीत
35	पैरा-18 (एच)	अनिर्णीत
36	पैरा-18 (आई)	अनिर्णीत
37	पैरा-18 (जे)	अनिर्णीत
38	पैरा-18 (के)	अनिर्णीत
39	पैरा-18 (एल)	अनिर्णीत
40	पैरा-18 (एम)	अनिर्णीत
41	पैरा-19 (ए)	अनिर्णीत
42	पैरा-20	अनिर्णीत

43	पैरा-21 (i)	अनिर्णीत
44	पैरा-21 (ii)	अनिर्णीत
45	पैरा-21 (iii)	अनिर्णीत
46	पैरा-22 (ए)	अनिर्णीत
47	पैरा-22 (बी)	अनिर्णीत
48	पैरा-22 (एफ)	अनिर्णीत
49	पैरा-22 (एच)	अनिर्णीत
50	पैरा-23 (ए)	अनिर्णीत
51	पैरा-23 (बी)	अनिर्णीत
52	पैरा-24 (2)	अनिर्णीत
53	पैरा-24 (3)	अनिर्णीत
54	पैरा-24 (6)	अनिर्णीत
55	पैरा-24 (7)	अनिर्णीत
56	पैरा-24 (8)	अनिर्णीत
57	पैरा-24 (9)	अनिर्णीत
58	पैरा-24 (10)	अनिर्णीत
59	पैरा-24 (11)	अनिर्णीत
60	पैरा-24 (13)	अनिर्णीत
61	पैरा-24 (14)	अनिर्णीत
62	पैरा-24 (15)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1986 से 03/1987

1	पैरा-5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा-5 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा-5 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा-5 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा-5 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा-5 (6)	अनिर्णीत
7	पैरा-6 (क)	अनिर्णीत

8	पैरा-6 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा-6 (ग)	अनिर्णीत
10	पैरा-6 (घ)	अनिर्णीत
11	पैरा-7	अनिर्णीत
12	पैरा-8	अनिर्णीत
13	पैरा-9 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा-9 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा-9 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा-9 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा-9 (5) (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा-9 (5) (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा-10	अनिर्णीत
20	पैरा-12 (1)	अनिर्णीत
21	पैरा-12 (2)	अनिर्णीत
22	पैरा-12 (3)	अनिर्णीत
23	पैरा-13 (2)	अनिर्णीत
24	पैरा-13 (4)	अनिर्णीत
25	पैरा-13 (5)	अनिर्णीत
26	पैरा-13 (6)	अनिर्णीत
27	पैरा-13 (7)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1992

1	पैरा-5 (ए)	निर्णीत	(आगामी प्रतिवेदनों में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा-6	निर्णीत	(आगामी प्रतिवेदनों में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा-7	अनिर्णीत	
4	पैरा-9 (1)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
5	पैरा-14 (1)	अनिर्णीत	
6	पैरा-14 (2)	अनिर्णीत	
7	पैरा-14 (3)	अनिर्णीत	
8	पैरा-14 (4)	अनिर्णीत	

9	पैरा-14 (6) (क)	अनिर्णीत
10	पैरा-14 (6) (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा-14 (9)	अनिर्णीत
12	पैरा-14 (12)	अनिर्णीत
13	पैरा-14 (17)	अनिर्णीत
14	पैरा-14 (19)	अनिर्णीत
15	पैरा-14 (27)	अनिर्णीत
16	पैरा-14 (28)	अनिर्णीत
17	पैरा-14 (29) (क)	अनिर्णीत
18	पैरा-14 (29) (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा-14 (29) (ग)	अनिर्णीत
20	पैरा-14 (29) (घ)	अनिर्णीत
21	पैरा-14 (29) (च)	अनिर्णीत
22	पैरा-14 (37) (क)	अनिर्णीत
23	पैरा-14 (37) (ख)	अनिर्णीत
24	पैरा-14 (38)	अनिर्णीत
25	पैरा-14 (39) (1)	अनिर्णीत
26	पैरा-14 (39) (2) (ग)	अनिर्णीत
27	पैरा-14 (40)	अनिर्णीत
28	पैरा-14 (45)	अनिर्णीत
29	पैरा-14 (48)	अनिर्णीत
30	पैरा-14 (49)	अनिर्णीत
31	पैरा-14 (51)	अनिर्णीत
32	पैरा-14 (52)	अनिर्णीत
33	पैरा-14 (54)	अनिर्णीत
34	पैरा-14 (55) (क)	अनिर्णीत
35	पैरा-14 (55) (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा-14 (55) (ग)	अनिर्णीत
37	पैरा-14 (55) (घ)	अनिर्णीत
38	पैरा-14 (55) (ङ)	अनिर्णीत

39	પૈરા—14 (56) (ક)	અનિર્ણીત
40	પૈરા—14 (56) (ખ)	અનિર્ણીત
41	પૈરા—14 (56) (ગ)	અનિર્ણીત
42	પૈરા—14 (56) (ઘ)	અનિર્ણીત
43	પૈરા—14 (56) (ઙ)	અનિર્ણીત
44	પૈરા—14 (59)	અનિર્ણીત
45	પૈરા—14 (60)	અનિર્ણીત
46	પૈરા—14 (61) (ક)	અનિર્ણીત
47	પૈરા—14 (61) (ખ)	અનિર્ણીત
48	પૈરા—14 (61) (ગ)	અનિર્ણીત
49	પૈરા—14 (61) (ઘ)	અનિર્ણીત
50	પૈરા—14 (61) (ઙ)	અનિર્ણીત
51	પૈરા—14 (62) (ક)	અનિર્ણીત
52	પૈરા—14 (62) (ખ)	અનિર્ણીત
53	પૈરા—14 (62) (ગ)	અનિર્ણીત
54	પૈરા—14 (63)	અનિર્ણીત
55	પૈરા—14 (64)	અનિર્ણીત
56	પૈરા—14 (65)	અનિર્ણીત
57	પૈરા—14 (66)	અનિર્ણીત
58	પૈરા—14 (68)	અનિર્ણીત
59	પૈરા—14 (69)	અનિર્ણીત
60	પૈરા—14 (71) (ક)	અનિર્ણીત
61	પૈરા—14 (72) (ખ)	અનિર્ણીત
62	પૈરા—14 (72) (ગ)	અનિર્ણીત
63	પૈરા—14 (73)	અનિર્ણીત
64	પૈરા—14 (74)	અનિર્ણીત
65	પૈરા—15 (1)	અનિર્ણીત
66	પૈરા—15 (2)	અનિર્ણીત
67	પૈરા—16 (ખ)	અનિર્ણીત
68	પૈરા—16 (ગ)	અનિર્ણીત

69	पैरा-16 (छ)	अनिर्णीत
70	पैरा-17 (ख)	अनिर्णीत
71	पैरा-17 (झ)	अनिर्णीत
72	पैरा-17 (ञ)	अनिर्णीत
73	पैरा-17 (त)	अनिर्णीत
74	पैरा-17 (द)	अनिर्णीत
75	पैरा-17 (ध)	अनिर्णीत
76	पैरा-17 (न)	अनिर्णीत
77	पैरा-17 (प)	अनिर्णीत
78	पैरा-17 (फ)	अनिर्णीत
79	पैरा-17 (ब)	अनिर्णीत
80	पैरा-17 (म)	अनिर्णीत
81	पैरा-17 (य)	अनिर्णीत
82	पैरा-17 (र)	अनिर्णीत
83	पैरा-17 (ल)	अनिर्णीत
84	पैरा-17 (व)	अनिर्णीत
85	पैरा-17 (ह)	अनिर्णीत
86	पैरा-17 (त्र)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1992 से 03/1996

1	पैरा-6 (क) (1)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है)
2	पैरा-6 (क) (2)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है)
3	पैरा-6 (क) (3)	अनिर्णीत	
4	पैरा-6 (क) (4)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है)
5	पैरा-6 (ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा-7 (1)	निर्णीत	(आगामी प्रतिवेदनों में पुनः प्रारूपित)
7	पैरा-7 (2)	अनिर्णीत	

8	पैरा-7 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा-7 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा-7 (5)	अनिर्णीत
11	पैरा-8 (1)	निर्णीत (आगामी प्रतिवेदनों में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा-8 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा-8 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा-11	अनिर्णीत
15	पैरा-12 (1)	अनिर्णीत
16	पैरा-12 (3)	अनिर्णीत
17	पैरा-12 (5)	अनिर्णीत
18	पैरा-12 (6)	अनिर्णीत
19	पैरा-12 (7)	अनिर्णीत
20	पैरा-12 (8)	अनिर्णीत
21	पैरा-12 (10)	अनिर्णीत
22	पैरा-12 (11)	अनिर्णीत
23	पैरा-12 (14)	अनिर्णीत
24	पैरा-12 (15)	अनिर्णीत
25	पैरा-12 (16)	अनिर्णीत
26	पैरा-12 (17)	अनिर्णीत
27	पैरा-12 (19)	अनिर्णीत
28	पैरा-12 (20)	अनिर्णीत
29	पैरा-13 (क)	अनिर्णीत
30	पैरा-13 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा-13 (ग)	अनिर्णीत
32	पैरा-13 (घ)	अनिर्णीत
33	पैरा-13 (ङ)	अनिर्णीत
34	पैरा-14 (2)	अनिर्णीत
35	पैरा-14 (3)	अनिर्णीत
36	पैरा-14 (4)	अनिर्णीत
37	पैरा-14 (5)	अनिर्णीत

38	पैरा-15 (3)	अनिर्णीत
39	पैरा-15 (8)	अनिर्णीत
40	पैरा-15 (10)	अनिर्णीत
41	पैरा-16	अनिर्णीत
42	पैरा-17 (2)	अनिर्णीत
43	पैरा-17 (7)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1996 से 03/1999

1	पैरा-6 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-7 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा-7 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा-7 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा-7 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा-7 (6)	अनिर्णीत
8	पैरा-8 (1)	अनिर्णीत
9	पैरा-8 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा-8 (3)	अनिर्णीत
11	पैरा-9	अनिर्णीत
12	पैरा-11 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा-11 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा-13 (1)	अनिर्णीत
15	पैरा-13 (2) (1)	अनिर्णीत
16	पैरा-13 (2) (2)	अनिर्णीत
17	पैरा-13 (3) (1)	अनिर्णीत
18	पैरा-13 (3) (2)	अनिर्णीत
19	पैरा-13 (3) (3)	अनिर्णीत
20	पैरा-13 (4)	अनिर्णीत
21	पैरा-13 (6)	अनिर्णीत

22	પૈરા-13 (9)	અનિર્ણીત
23	પૈરા-13 (11)	અનિર્ણીત
24	પૈરા-13 (13) (i)	અનિર્ણીત
25	પૈરા-13 (13) (ii)	અનિર્ણીત
26	પૈરા-13 (13) (iii)	અનિર્ણીત
27	પૈરા-13 (13) (iv)	અનિર્ણીત
28	પૈરા-13 (14)(1) (i)	અનિર્ણીત
29	પૈરા-13 (14)(1) (ii)	અનિર્ણીત
30	પૈરા-13 (14)(1) (iii)	અનિર્ણીત
31	પૈરા-13 (14) (2)	અનિર્ણીત
32	પૈરા-13 (16) (1)	અનિર્ણીત
33	પૈરા-13 (16) (2)	અનિર્ણીત
34	પૈરા-13 (16) (3)	અનિર્ણીત
35	પૈરા-13 (16) (4)	અનિર્ણીત
36	પૈરા-13 (17) (1)	અનિર્ણીત
37	પૈરા-13 (17) (2)	અનિર્ણીત
38	પૈરા-13 (17) (3)	અનિર્ણીત
39	પૈરા-13 (17) (4)	અનિર્ણીત
40	પૈરા-13 (22) (1)	અનિર્ણીત
41	પૈરા-13 (22) (2)	અનિર્ણીત
42	પૈરા-13 (22) (3)	અનિર્ણીત
43	પૈરા-13 (22) (4)	અનિર્ણીત
44	પૈરા-13 (22) (5)	અનિર્ણીત
45	પૈરા-14 (1)	અનિર્ણીત
46	પૈરા-14 (2)	અનિર્ણીત
47	પૈરા-16 (1)	અનિર્ણીત
48	પૈરા-16 (2)	અનિર્ણીત
49	પૈરા-16 (3)	અનિર્ણીત
50	પૈરા-17 (2) (i)	અનિર્ણીત
51	પૈરા-17 (2) (ii)	અનિર્ણીત

52	पैरा-17 (3) (i)	अनिर्णीत
53	पैरा-17 (3) (ii)	अनिर्णीत
54	पैरा-17 (4) (i)	अनिर्णीत
55	पैरा-17 (4) (ii)	अनिर्णीत
56	पैरा-17 (16) (1)	अनिर्णीत
57	पैरा-17 (16) (2)	अनिर्णीत
58	पैरा-17 (16) (3)	अनिर्णीत
59	पैरा-17 (7)	अनिर्णीत
60	पैरा-18 (1)	अनिर्णीत
61	पैरा-18 (2)	अनिर्णीत
62	पैरा-18 (3)	अनिर्णीत
63	पैरा-18 (4)	अनिर्णीत
64	पैरा-18 (5)	अनिर्णीत
65	पैरा-18 (6)	अनिर्णीत
66	पैरा-18 (7)	अनिर्णीत
67	पैरा-19	अनिर्णीत
68	पैरा-20 (1)	अनिर्णीत
69	पैरा-20 (5)	अनिर्णीत
70	पैरा-21 (1)	अनिर्णीत
71	पैरा-21 (3)	अनिर्णीत
72	पैरा-21 (4)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1999 से 03/2007

1	पैरा-2	अनिर्णीत
2	पैरा-4 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा-4 (1) (1)	अनिर्णीत
4	पैरा-4 (1) (2)	अनिर्णीत
5	पैरा-4 (1) (3)	अनिर्णीत
6	पैरा-4 (1) (4)	अनिर्णीत

7	पैरा-4 (2)	अनिर्णीत	
8	पैरा-4 (3) (i)	अनिर्णीत	
9	पैरा-4 (3) (ii)	अनिर्णीत	
10	पैरा-4 (3) (iii)	अनिर्णीत	
11	पैरा-4 (3) (iv)	अनिर्णीत	
12	पैरा-4 (3) (v)	अनिर्णीत	
13	पैरा-4 (4) (i)	अनिर्णीत	
14	पैरा-4 (4) (ii)	अनिर्णीत	
15	पैरा-4 (4) (iii)	अनिर्णीत	
16	पैरा-4 (5)	अनिर्णीत	
17	पैरा-4 (6)	अनिर्णीत	
18	पैरा-4 (7)	अनिर्णीत	
19	पैरा-4 (8)	अनिर्णीत	
20	पैरा-4 (9)	अनिर्णीत	
21	पैरा-5 (1)	अनिर्णीत	
22	पैरा-5 (1) (2)	अनिर्णीत	
23	पैरा-5 (1) (3)	अनिर्णीत	
24	पैरा-5 (1) (4)	अनिर्णीत	
25	पैरा-5 (1) (5)	अनिर्णीत	
26	पैरा-5 (2) (1)	अनिर्णीत	
27	पैरा-5 (2) (2)	अनिर्णीत	
28	पैरा-5 (2) (3)	अनिर्णीत	
29	पैरा-5 (3) (ए)	अनिर्णीत	
30	पैरा-5 (3) (बी)	अनिर्णीत	
31	पैरा-5 (3) (2)	निर्णीत	(यह पैरा प्रतिवेदन 4/92 से 3/96 पैरा 14 (1) में अभिलेख जाँच कर पहले निर्णीत हुआ है)
32	पैरा-5 (4)	अनिर्णीत	
33	पैरा-5 (5)	अनिर्णीत	
34	पैरा-5 (6)	अनिर्णीत	
35	पैरा-5 (7) (i)	अनिर्णीत	

36	પૈરા-6 (1)	અનિર્ણીત
37	પૈરા-6 (2)	અનિર્ણીત
38	પૈરા-6 (3)	અનિર્ણીત
39	પૈરા-6 (4)	અનિર્ણીત
40	પૈરા-6 (5)	અનિર્ણીત
41	પૈરા-6 (6)	અનિર્ણીત
42	પૈરા-6 (7)	અનિર્ણીત
43	પૈરા-6 (8) (1)	અનિર્ણીત
44	પૈરા-6 (8) (2)	અનિર્ણીત
45	પૈરા-6 (9)	અનિર્ણીત
46	પૈરા-6 (10)	અનિર્ણીત
47	પૈરા-6 (11)	અનિર્ણીત
48	પૈરા-6 (12)	અનિર્ણીત
49	પૈરા-6 (13)	અનિર્ણીત
50	પૈરા-6 (14)	અનિર્ણીત
51	પૈરા-6 (15)	અનિર્ણીત
52	પૈરા-6 (16)	અનિર્ણીત
53	પૈરા-6 (17)	અનિર્ણીત
54	પૈરા-6 (18)	અનિર્ણીત
55	પૈરા-6 (19)	અનિર્ણીત
56	પૈરા-6 (20)	અનિર્ણીત
57	પૈરા-6 (21) (એ)	અનિર્ણીત
58	પૈરા-6 (21) (બી)	અનિર્ણીત
59	પૈરા-6 (22)	અનિર્ણીત
60	પૈરા-6 (23)	અનિર્ણીત
61	પૈરા-6 (24)	અનિર્ણીત
62	પૈરા-6 (25)	અનિર્ણીત
63	પૈરા-6 (26)	અનિર્ણીત
64	પૈરા-6 (27)	અનિર્ણીત
65	પૈરા-6 (28)	અનિર્ણીત

66	પૈરા-6 (29)	અનિર્ણીત
67	પૈરા-6 (30)	અનિર્ણીત
68	પૈરા-6 (31)	અનિર્ણીત
69	પૈરા-6 (32)	અનિર્ણીત
70	પૈરા-6 (33)	અનિર્ણીત
71	પૈરા-6 (34)	અનિર્ણીત
72	પૈરા-6 (35)	અનિર્ણીત
73	પૈરા-6 (36)	અનિર્ણીત
74	પૈરા-6 (37)	અનિર્ણીત
75	પૈરા-6 (38)	અનિર્ણીત
76	પૈરા-6 (39)	અનિર્ણીત
77	પૈરા-6 (40)	અનિર્ણીત
78	પૈરા-6 (41)	અનિર્ણીત
79	પૈરા-6 (42)	અનિર્ણીત
80	પૈરા-6 (43)	અનિર્ણીત
81	પૈરા-6 (44)	અનિર્ણીત
82	પૈરા-6 (45)	અનિર્ણીત
83	પૈરા-6 (46)	અનિર્ણીત
84	પૈરા-6 (47)	અનિર્ણીત
85	પૈરા-6 (48)	અનિર્ણીત
86	પૈરા-6 (49)	અનિર્ણીત
87	પૈરા-6 (50)	અનિર્ણીત
88	પૈરા-6 (51)	અનિર્ણીત
89	પૈરા-6 (52)	અનિર્ણીત
90	પૈરા-6 (53)	અનિર્ણીત
91	પૈરા-6 (54)	અનિર્ણીત
92	પૈરા-6 (55)	અનિર્ણીત
93	પૈરા-6 (56)	અનિર્ણીત
94	પૈરા-6 (57)	અનિર્ણીત
95	પૈરા-6 (58)	અનિર્ણીત

96	પૈરા-6 (59)	અનિર્ણીત
97	પૈરા-6 (60)	અનિર્ણીત
98	પૈરા-6 (61)	અનિર્ણીત
99	પૈરા-7 (1)	અનિર્ણીત
100	પૈરા-7 (2)	અનિર્ણીત
101	પૈરા-7 (3)	અનિર્ણીત
102	પૈરા-7 (4)	અનિર્ણીત
103	પૈરા-7 (5)	અનિર્ણીત
104	પૈરા-7 (6)	અનિર્ણીત
105	પૈરા-7 (7)	અનિર્ણીત
106	પૈરા-7 (8)	અનિર્ણીત
107	પૈરા-7 (9)	અનિર્ણીત
108	પૈરા-7 (10)	અનિર્ણીત
109	પૈરા-7 (11)	અનિર્ણીત
110	પૈરા-7 (12)	અનિર્ણીત
111	પૈરા-7 (13)	અનિર્ણીત
112	પૈરા-7 (14)	અનિર્ણીત
113	પૈરા-7 (15)	અનિર્ણીત
114	પૈરા-7 (16)	અનિર્ણીત
115	પૈરા-7 (17)	અનિર્ણીત
116	પૈરા-7 (18)	અનિર્ણીત
117	પૈરા-7 (19)	અનિર્ણીત
118	પૈરા-7 (20)	અનિર્ણીત
119	પૈરા-7 (21)	અનિર્ણીત
120	પૈરા-7 (22)	અનિર્ણીત
121	પૈરા-7 (23)	અનિર્ણીત
122	પૈરા-7 (24)	અનિર્ણીત
123	પૈરા-7 (25)	અનિર્ણીત
124	પૈરા-7 (26)	અનિર્ણીત
125	પૈરા-7 (27)	અનિર્ણીત

126	पैरा-7 (28)	अनिर्णीत
127	पैरा-7 (29)	अनिर्णीत
128	पैरा-7 (30)	अनिर्णीत
129	पैरा-7 (31)	अनिर्णीत
130	पैरा-7 (32)	अनिर्णीत
131	पैरा-7 (33)	अनिर्णीत
132	पैरा-8 (1)	अनिर्णीत
133	पैरा-8 (2)	अनिर्णीत
134	पैरा-8 (3)	अनिर्णीत
135	पैरा-8 (4) (ए)	अनिर्णीत
136	पैरा-8 (4) (बी)	अनिर्णीत
137	पैरा-8 (5)	अनिर्णीत
138	पैरा-8 (6)	अनिर्णीत
139	पैरा-8 (7)	अनिर्णीत
140	पैरा-8 (8)	अनिर्णीत
141	पैरा-8 (9)	अनिर्णीत
142	पैरा-8 (10) (ए)	अनिर्णीत
143	पैरा-8 (10) (बी)	अनिर्णीत
144	पैरा-9 (1)	अनिर्णीत
145	पैरा-9 (2)	अनिर्णीत
146	पैरा-9 (3)	अनिर्णीत
147	पैरा-10	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/10

1	पैरा-4 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा-4 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा-4 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा-4 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा-5 (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा-6.1	अनिर्णीत

7	पैरा-6.2	अनिर्णीत
8	पैरा-6.5	अनिर्णीत
9	पैरा-9	अनिर्णीत
10	पैरा-10	अनिर्णीत
11	पैरा-11	अनिर्णीत
12	पैरा-12.1.5	अनिर्णीत
13	पैरा-12.1.6	अनिर्णीत
14	पैरा-12.1.7	अनिर्णीत
15	पैरा-12.2	अनिर्णीत
16	पैरा-12.3	अनिर्णीत
17	पैरा-13	अनिर्णीत
18	पैरा-14.3	अनिर्णीत
19	पैरा-16.1	अनिर्णीत
20	पैरा-16.2	अनिर्णीत
21	पैरा-16.3	अनिर्णीत
22	पैरा-17.1	अनिर्णीत
23	पैरा-17.2	अनिर्णीत
24	पैरा-17.3	अनिर्णीत
25	पैरा-17.4	अनिर्णीत
26	पैरा-18	अनिर्णीत
27	पैरा-19	अनिर्णीत
28	पैरा-22.1	अनिर्णीत
29	पैरा-22.2	अनिर्णीत
30	पैरा-23	आंशिक निर्णीत
31	पैरा-24.1	अनिर्णीत
32	पैरा-24.2	अनिर्णीत
33	पैरा-25	अनिर्णीत
34	पैरा-27	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 31.3.12

1	पैरा-3	निर्णीत	
2	पैरा-4 (क)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3	पैरा-5 (II)	अनिर्णीत	
4	पैरा-6	अनिर्णीत	
5	पैरा-6.1	अनिर्णीत	
6	पैरा-6.2	अनिर्णीत	
7	पैरा-6.3	अनिर्णीत	
8	पैरा-6.4	अनिर्णीत	
9	पैरा-6.5	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
10	पैरा-6.6	अनिर्णीत	
11	पैरा-6.7	अनिर्णीत	
12	पैरा-6.8	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
13	पैरा-6.9	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
14	पैरा-7	निर्णीत	(₹1730 की वसूली माह 9/12 में की गई)
15	पैरा-8	निर्णीत	(डाक टिकटें पृष्ठ 133 पर दर्ज की गई)
16	पैरा-9 (i)	निर्णीत	(₹27258 की वसूली वेतन माह 9/12 से 9/14 में की गई)
17	पैरा-9 (ii)	निर्णीत	(₹22612/- की वसूली माह 9/12 के बकाया राशि बिल से की गई)
18	पैरा-9 (iii)	निर्णीत	(₹22612/- की वसूली वेतन माह 9/12 से 2/14 में की गई)
19	पैरा-9 (iv)	निर्णीत	(₹32600/- की वसूली वेतन माह 9/12 से 9/14 में की गई)
20	पैरा-10	निर्णीत	(₹3630/- की वसूली 8/12 से 9/12 के वाउचर में की गई)
21	पैरा-11	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
22	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा-12	अनिर्णीत	
24	पैरा-13	निर्णीत	(वसूलियाँ माह 7/12 देय 8/12 वेतन

			बिल से की गई)
25	पैरा—14	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
26	पैरा—15	अनिर्णीत	
27	पैरा—15.1	अनिर्णीत	
28	पैरा—16	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
29	पैरा—17	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
30	पैरा—18	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
31	पैरा—19	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)